कुरुक्षेत्र

वार्षिक अंक
अक्तूबर 1983

मूल्य : 1 रु०

श्रम की मुस्कान

संपादकीय

गांवों के विकास को उच्च प्राथमिकता

जिस देश की अधिक जनता गांवों में निवास करती हो उस देश की समृद्धि और विकास ग्रामीण जनता की खुशहाली और प्रगति पर निर्भर करता है। हमारा देश गांव प्रधान है अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुचारू विकास को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसी कल्पना को साकार होते देखना हमारी विकास योजनाओं का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार ने लम्बी अवधि के ठोस उपाय किए हैं। छठी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक ग्रामीण निर्धनता को दूर करना भी है।

गांधी जी की दूरदर्शी कल्पना ने भी गांवों के उत्थान में भारत का उत्थान देखा था। साबरमती आश्रम भारत के उस गांव का नमूना था जिसका स्वप्न गांधी जी के मानस पटल पर अंकित था "गांवों में स्वच्छता हो, लोग अंध विश्वास से मुक्त हों, उनके लिए शिक्षा और उपचार की उत्तम व्यवस्था हो और वे स्वयं पूरित इकाई बनें।" कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, मद्यनिषेध, खादी ग्रामोद्योग, आर्थिक समानता, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों की भलाई को उन्होंने अपने ग्राम समाज में प्रमुखता दी थी।

जिस व्यक्ति ने आज से दस साल पहले किसी गांव को देखा है और उसे अब देखता है तो उसे अवश्य गांव में परिवर्तन और विकास की नई दिशाओं के दर्शन होते हैं। गांव के कमजोर वर्गों जिनमें छोटे किसान, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण कारीगर आदि हैं, के सामाजिक उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरु भूमि विकास कार्यक्रमों को और गतिशील बनाने के लिए और गांवों की बेहतरी के लिए एक बीस सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। इनमें अधिकतर कार्यक्रम ग्रामीण विकास से ही संबंधित हैं, और इन्हें बड़ी तेजी के साथ क्रियान्वित ही नहीं किया जा रहा बल्कि प्रत्येक राज्य इस बात की कोशिश में लगा है कि वह यह दिखा सके कि इस संबंध में कितना काम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा 1982-83 में 34 करोड़ 99 लाख मानस दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 33.65 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त 10 लाख व्यक्तियों को अपना रोजगार चलाने हेतु ट्राइसेम योजना में प्रशिक्षित किया गया जिनमें 65 हजार व्यक्तियों ने स्वरोजगार स्थापित कर लिया है। इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत आठ लाख से अधिक आदिवासी परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने के लिए सहायता दी गई। गत वर्ष 5677 समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई। 10 से 50 राजकीय नलकूप लगाए गए तथा लगभग 11 लाख हैक्टेयर अधिकृत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। तीन लाख 713 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ और 4,969 गांवों में इस वर्ष के अंदर बिजली पहुंचाई गई। पौष्टिक आहार कार्यक्रम में 84,200 बच्चों को ग्राम विकास योजना के अंतर्गत और 1,14,800 बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया। पिछले वर्ष देश में 57,500 बायो गैस संयंत्र लगे थे। यह सब गांवों में ही थे और अब तो गांवों में उस जनता के लिए भी, जिनके अपने बायो गैस संयंत्र नहीं हैं, सामूहिक बायो गैस संयंत्र बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष सारे देश में 22,607 गांवों में बिजली पहुंचाई गई और 3,19,090 पम्पसैटों को बिजली द्वारा चालित किया गया। सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में 3.76 लाख हैक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखानों की संख्या मार्च 1983 में बढ़कर 1,27,122 हो गई थी। इतना ही नहीं ग्रामोद्योग और ग्राम शिल्प को भी बढ़ावा मिला है।

गांवों में अनेक दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ग्रामीण जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। कहीं-कहीं नक्शा एकदम बदल गया है वहां सम्पन्नता की रोशनी फैल रही है। लेकिन जब हम सम्पूर्ण गांवों को देखते हैं तो अभी बहुत से गांव अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। बहुत से ग्रामीण अभी भी गरीबी की रेखास्तर से निम्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत बहुत बड़ा देश है जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है यही कारण है कि प्रगति के परिणाम सामने दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन यह प्रगति किसी से छुपी नहीं है। गांवों का स्वरूप बदल रहा है।

देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं लेकिन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने स्वतन्त्रता दिवस को अपने भाषण में शिक्षित बेरोजगारों और भूमिहीन मजदूरों के लिए दो नए कार्यक्रमों की घोषणा की। जिनका उद्देश्य हरेक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाना है। अतएव शिक्षित उद्यमि, बेकार युवक-युवतियों को उद्योग सेवा उद्योग एवं व्यापार के जरिए स्वरोजगार के मार्ग उपलब्ध कराने के उपायों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, झांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ भेजना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : देवकी नन्दन वहेन
सहायक निदेशक (उत्पादन) : के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406
सम्पादक : श्रीमती सुमन शर्मा
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 | आश्विन-कार्तिक 1905 | अंक 12

इस अंक में — **पृष्ठ संख्या**

ग्रामीण विकास——समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि में — 2
प्रस्तुति : सुशील वर्मा
ग्रामोत्थान के प्रति गांधीवाद की सार्थकता — 4
डा० बद्री विशाल त्रिपाठी
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम——एक रिपोर्ट — 8
बापू का ग्राम-राज्य — 10
सुरेन्द्र अग्रवाल एवं श्रीकांत पाण्डेय
बिहार के आदिवासियों की भलाई के लिए नए कार्यक्रम — 13
गढ़वाल में सड़क विकास की वांछनीयता — 14
अभय कुमार
ग्रामीण विकास में यातायात एवं परिवहन की भूमिका — 17
हरिकीर्तन राम एवं परमात्मा मिश्र
समन्वित ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम——लक्ष्य से अधिक कार्य — 20
कृषि के लिए बूंद-बूंद पानी——एक नया प्रयोग — 24
राम अधीर
रेशम उत्पादन और राजस्थान — 26
डा० देवदत्त शर्मा
ग्रामीण बैंकों की भूमिका — 30
आर० बी० सक्सेना
फादर कामिल बुल्के — 32
ग्रामीण जन-जीवन के केन्द्र बिन्दु——हाट-बाजार — 34
प्रभात कुमार सिंघल
प्राकृतिक शर्बत——नीरा — 36
श्याम सुन्दर जोशी
नमक का प्रयोग कितना जरूरी — 37
डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े
त्रिमुखी वन खेती——पहाड़ों पर जीवनदान का प्रयास — 39
बद्रीदत्त कसनियाल
हल (कहानी) — 40
सुबोध
केन्द्र के समाचार — 42
प्रयासों का सुफल — आवरण पृष्ठ 3
कविताएं — (7, 9, 21, 25, 28, 35)
आवरण पृष्ठ 4 — श्रम की मुस्कान

ग्रामीण विकास समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि में

प्रस्तुति : सुशील वर्मा ✳ सहयोग : राम कुमार

मैंने गांवों के बदलते स्वरूप को देखा है

: श्याम चरण दूबे

जम्मू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्याम चरण दूबे ने कहा कि 1978 में मेरी पुस्तक 'भारत के बदलते गांव' प्रकाशित हुई थी। इसमें सामुदायिक विकास के संदर्भ में एक समाज–वैज्ञानिक की भूमिका को विस्तार से विवेचित किया गया था। ग्रामीण विकास की सफलताओं व असफलताओं का मूल्यांकन करते समय हमें सिर्फ आर्थिक विकास का ही नहीं बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का भी अध्ययन करना पड़ेगा।

"मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि अब तक हमारे शहरों का ही विकास हुआ है, गांवों का नहीं। पिछले 40 वर्षों में मैंने गांवों के बदलते स्वरूप को देखा है। गांवों में भी वे कई सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहरों में मिलती हैं फिर भी गांव के और अधिक विकास के लिए इसे वैज्ञानिक ढंग से संचालित करना बहुत आवश्यक है। मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रिंसिपल पद पर कार्य करते समय विकास प्रक्रिया में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर बहुत गहराई से विचार किया। गांवों में आज कृषि–क्रांति के साथ-साथ औद्योगिक–क्रांति के नक्शे भी दिखाई देते हैं।"

बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है: ए० एस० कोहली

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग के व्याख्याता ए० एस० कोहली ने कहा कि किसी व्यक्ति का विशेषकर समाज–वैज्ञानिक का केवल पदक रागना अनुचित है। उसे समाज में बिखरी हुई समस्याओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए लेकिन आजकल सामाजिक कार्यकर्त्ता और समाज–वैज्ञानिक में कोई तालमेल दिखाई नहीं देता। इनके बीच बने हुए इस 'गैप' को खत्म होना चाहिए। इसके रहने पर हमारे विकास की गति में तीव्रता नहीं आ सकती।

"मैं नहीं मानता हूं कि गांव में विकास नहीं हुआ है। मैंने ग्रामीण जीवन का अध्ययन करने के लिए बहुत से गांवों का भ्रमण किया। वहां मुझे आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में विकास परिलक्षित हुआ। लगभग सभी शहरी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं और अगर आप बौद्धिक विकास की बातें कहते हैं तो मैंने अनुभव किया है कि इस मामले में कई शहर कई गांवों से काफी पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण–जीवन के अध्ययन करने का शौक मुझे शुरू से ही रहा है। जब मैं दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तब मैंने अलीपुर ब्लाक, शाहदरा ब्लाक, महरौली इत्यादि के गांवों का अध्ययन किया। मैं इसके लिए दिल्ली से बाहर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी गया। यहां मैंने गरीबी और अस्पृश्यता को विशेष रूप से महसूस किया जिसे मेरे विचार में ग्रामीण विकास के सामाजिक पक्ष में उचित स्थान नहीं मिला। यहां बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हर जगह शोषण किया जाता है। भ्रष्टाचार का बोल बाला है। ग्रामीण विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण (इन्टीग्रेटिड एप्रोच) का होना बहुत आवश्यक है। गांवों में विकास की मंद गति के लिए केवल सरकार दोषी नहीं है। हम सभी जिम्मेदार हैं। आज जरूरी है कि हम सब मिल कर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। इस मकसद से हमने वहां कई नुक्कड़ नाटक (स्ट्रीट प्ले) के प्रदर्शन किए। प्रतिक्रिया स्वरूप एक गांव के सरपंच ने तिलमिला कर कहा :—

इस ड्रामे से आप क्या कर लेंगे ?"

अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई है

: डा० मनोरंजन मोहंती

दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष व 'चीन' के विशेषज्ञ डा० मनोरंजन मोहंती के विचार में समाज वैज्ञानिकों की ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है परन्तु खेद है बात का है कि उन्होंने यह भूमिका पूरी तरह निभाई नहीं है। राजनीति शास्त्र आज मात्र संविधान का ही नहीं अपितु विकास के उस पहलू का अध्ययन भी करता है जिसमें गरीबी असमानता एवं अशिक्षा जैसी समस्याओं के राजनैतिक हलों को पाने की कोशिश की जाती है।

ग्रामीण विकास की दिशा में कुछ प्रगति हुई है परन्तु इसकी प्रारम्भिक अवस्था में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की बात करते समय हम यह भूल गए कि समुदाय अपने आप में कोई इकाई नहीं है। उसमें गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई है। विकास के दौर में सड़कों, सिंचाई व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के रूप में एक बुनियादी ढांचा अवश्य तैयार हुआ है। हरित क्रांति के समय भी उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया जिसका लाभ केवल सम्पन्न किसानों को ही हुआ। वे ही इस पूंजी से सघन विकास के लिए आवश्यक रसायनिक खाद मशीनों व अन्य उपकरण खरीद सकते थे। समन्वित ग्रामी

कास (आई०आर०डी०पी०) जैसे कार्यक्रमों भी निर्धन वर्ग को यथोचित लाभ नहीं ल पाया ।

भारत की चीन से तुलना करते हुए डा० हंती ने कहा कि हालांकि कृषि उत्पादन वृद्धि की दर दोनों देशों में प्रायः समान थी लेकिन चीन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में से इस लिए आगे है क्योंकि वहां वितरण अधिक समानता है । सहकारी और बाद सामूहिक खेती के माध्यम से वहां ी-निर्माण की दर उच्च स्तर पर खोजी सकी ।

वास्तव में दोष हमारी 'डवलपमेंट स्ट्रेटजी' था जो कि पूंजी-सघन थी । यदि इस्पात ोग में पूंजी लगाई जाती है तो वह ट्रैक्टर, प व कृषि के अन्य उपकरणों के उत्पादन सहायक होती है। चौ० चरणसिंह की ह गांव बनाम शहर या कृषि बनाम उद्योग बात बेमानी है।

ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं के ययन के लिए विभिन्न विषयों में विशेषता त करना आवश्यक है। यह हो सकता कि समस्या का अध्ययन करते समय समाज स्त्री इसके राजनीतिक पक्ष पर अधिक न दें परन्तु अंततः 'इंटरडिसिप्लिनरी च' अवश्यंभावी है।

विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए र्थिक व तकनीकी उपायों के अतिरिक्त ाज के पिछड़े वर्ग को राजनैतिक रूप से ठित करना और उनमें नव-चेतना संचार करना बहुत आवश्यक है। पश्चिमी ाल में जहां इस प्रकार का संगठन संभव सका है, आई० आर० डी० पी० के तर्गत प्रगति की रफ्तार तेज हुई है।

ाज समाज-वैज्ञानिक ो स्वयं 'फील्ड' में ाने की जरूरत है

: एम० डी० तेन्दुलकर

ल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता एम० डी०

गांव के विकास की बात जब भी उठती है तब हमारा जतन गांव के केवल आर्थिक विकास पर ही केन्द्रित हो जाता है, इसके उत्तर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास को नकार देते हैं, मगर आज जरूरत है गांव के विकास को समग्र रूप से देखने की । अब तक हमारे गांवों का कितना विकास हुआ है, और इस विकास की गति को कैसे तेज किया जा सकता है आदि आदि---------- इन तमाम मुद्दों का देश के इन विख्यात समाज-वैज्ञानिकों ने बड़ी चतुराई से विवेचन किया है ।

तेन्दुलकर ने कहा कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता व असफलता जानने के लिए बहुत गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पहली तीन योजनाओं का मूल मकसद कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था जिसमें किसी हद तक ये कामयाब हुआ मगर इससे केवल बड़े किसानों को ही लाभ मिला। गरीब और अमीर के बीच असमानता की खाई और अधिक लम्बी व गहरी हो गई। चौथी योजना में एस० एफ० डी०ए० और एम०एफ०ए०एल०ए० के नाम से दो कार्यक्रम चलाए गए और पांचवीं योजना में व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास किए गए। हमने ग्रामीण विकास को नियोजन-काल में गरीबी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया लेकिन इन दिनों अमीर अधिक बनते गए और गरीब अधिक गरीब।

हमारे देश में सुविधाओं का आवंटन उचित रूप से नहीं किया गया। शहरों में क्रय-शक्ति के आधिक्य और यहां पर राजनीतिक प्रभाव की वजह से बहुत अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांवों से सौतेला व्यवहार किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए आज 'इन्टीग्रेटिड एप्रोच' की नहीं बल्कि 'इंटर-डिसिप्लीनरी एप्रोच' की जरूरत है । समाज-वैज्ञानिकों को आज बैठे-बैठे योजना बनाने की नहीं बल्कि स्वयं 'फील्ड' में काम करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में 'फील्ड-वर्क' करना ज्यादा पसंद करता हूं।

विकास की मंद गति के लिए केवल सरकार ही दोषी नहीं

: डा० श्याम सिंह 'शशि'

सुप्रसिद्ध समाज-वैज्ञानिक डा० श्याम सिंह 'शशि' ने कहा कि ग्रामीण विकास का अभिप्राय गांव के केवल आर्थिक विकास से ही नहीं है बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास भी इसमें सम्मिलित हैं । मेरे विचार से ग्रामीण विकास में एक समाज-वैज्ञानिक की बहुत अहम भूमिका है लेकिन आज आवश्यकता है इसको गहराई से समझने की ।

मेरा स्वयं का 20 वर्ष का ग्रामीण अनुभव है । मैं हरिद्वार के पास बसे गांव—बाहदरपुर में रहता था । मैंने अनुभव से जाना कि यहां के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं यानि उनको मौसमी-बेरोजगारी से गुजरना पड़ता है । यहां के अधिकतर लोग मुकदमेबाजियों में ही उलझे रहते हैं । यहां शिक्षा की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि देश के कुछ ग्रामीण हिस्सों का विकास संतोषजनक है उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में अच्छा विकास हुआ है परन्तु हमें नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का बहुत सा भाग अभी भी विकासहीन है । इनके लिए मेरे

(शेष पृष्ठ 41 पर)

ग्रामोत्थान के प्रति गांधीवाद की सार्थकता

डा. बद्री बिशाल त्रिपाठी

स्वतन्त्रता के बाद विशेषकर नियोजित विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर अग्रसर हुई है। उसके परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है। ग्रामीण समाज के लोग अब नवीन उपकरण और अधिक तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाने लगे हैं। वहां जीवन की दैनन्दिन प्रयोग की वस्तुओं की सूची में नवीन वस्तुएं जुड़ गई हैं। स्टील के बर्तन, कप-प्लेट, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, टार्च, घड़ी, मेज-कुर्सी, रेडियो और जीप आदि का प्रयोग ग्रामीण जीवन में प्रभूत मात्रा में होने लगा है। विभिन्न आधुनिक विकास जन्य वस्तुएं यथा टेप रिकार्डर, कैमरे, सिलाई मशीनें, गोबर गैस, प्रेसर कुकर, सेन्थेटिक कपड़ों आदि का भी वहां प्रयोग होने लगा है। कहीं-कहीं तो टेलीविजन और सौर ऊर्जा का प्रयोग भी वहां सामान्य हो गया है। चाय, कॉफी, जैसे पेय पदार्थ दूरस्थ गांव तक उपलब्ध हैं। विभिन्न जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर स्वतन्त्रता पूर्वक नवीन व्यवसाय अपनाने लगी हैं। अधिकांश ग्रामीण नवयुवक शिक्षा के लिए नगरों में आते हैं और वहीं अपनी जीविका कमाने की व्यवस्था कर लेते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त विभिन्न ग्रामीण नवयुवक अनेकों जटिल प्राविधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं और उच्च-स्तरीय पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। शिक्षा प्रसार के कारण ग्रामीण जनसमुदाय में राष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति जागरूकता और राजनैतिक चेतना विकसित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की सर्वप्रथम प्रगति कृषि मोर्चे पर हुई है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। 1966 की खरीफ फसल से आरम्भ की गई तकनीकी परिवर्तनों की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब भारत अपनी खाद्यान्न आवश्यकता पूरी करने के साथ-साथ अतिरेक सृजित करने की स्थिति में हो गया है। फसल उत्पादन संरचना में अच्छे अनाजों के उत्पादन को वरीयता दी जाने लगी है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण ग्रामीण जीवन में आशा की नवीन किरण का सूत्रपात हुआ है। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिक बन रही है। विद्युतीकरण से ग्रामोद्योग कृषि को बढ़ावा मिल रहा है।

नियोजन काल में ग्रामीण अर्थव्यव
के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में भौतिक उ
बढ़ने के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वि
समस्याएं विद्यमान हैं। बेरोजगारी, गर
और असमानता की समस्या अत्यन्त स
रूप से विद्यमान है। समग्र ग्रामीण जनसं
में बेरोजगार और गरीब जनसंख्या
प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। प्रथम कृषि
जांच समिति के अनुसार 1950–51 में
ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 2.80 मिलि
थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16वें
1960–61 में यह अनुमान लगाया गया
उस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 5.64 मिलि
व्यक्ति बेरोजगार थे। ग्रामीण बेरोजग
बढ़ने की यह प्रवृत्ति आगे भी बनी रह
फलतः 1971 में ग्रामीण बेरोजगारों की सं
बढ़कर 7.70 मिलियन हो गई। 197
83 की योजना में यह उल्लेख किया गया
1973 में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की सं
10.7 मिलियन थी और 1978 में इन
अनुमानित संख्या बढ़कर 11.1 मिलि
हो गयी। छठी पंचवर्षीय योजना में यह अ
मान लगाया गया है कि 15 वर्ष से अधि
आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारों की सं
1980 में 11.4 मिलियन थी जिनमें अ
कांश ग्रामवासी हैं। बेरोजगारी का प्रत
प्रभाव गरीबी जनन होता है। बेरोजग
अल्प रोजगार व प्रच्छन्न बेरोजगारी के का
ग्रामीण जनसमूह का एक प्रमुख भाग व्या
गरीबी में जीवन यापन करता है। सम्प्र
देश में ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 48.0 प्र
शत जनसंख्या अपना न्यूनतम जीवन स
व्यतीत करने में सक्षम नहीं है। आय, संप
और उपभोग में सघन असमानताएं विद्यम
हैं। वर्तमान ग्रामीण समस्याओं की तीव्रत
निदान हेतु गांधी निर्देशित पथ का अनुक
समाज के संसाधनगत परिस्थितियों के प
प्रेक्ष्य में अनिवार्य है। वस्तुतः आज न के
विकासशील वरन् विकसित अर्थव्यवस्थ
भी अपनी क्रियाविधि में, गांधी निर्दे
पथ के आधार पर परिवर्तन का प्रयास
रही हैं, क्योंकि आज दोनों प्रकार की अ
व्यवस्था असंतुलन के रोग से त्रस्त हैं। अ
के विभिन्न ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रियों
संकल्पनाएं यथा मनुष्य प्रधान तकनी
लघु ही सुन्दर हैं एवं उपयुक्त तकनीक अ
इस तथ्य की सूचक है कि अब पश्चिमी

के अर्थशास्त्री भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं।

स्वीकृत औपचारिक आधार पर गांधी जी कोई अर्थशास्त्री न थे। विषय के प्रति उन्हें न तो कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण मिला था और न ही अर्थशास्त्र के ज्ञानार्जन की दृष्टि से एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, एवं मार्शल आदि की कृतियों का अध्ययन किया था। तथापि भारत के आर्थिक विचारों के इतिहास में गांधी जी का नाम एक शक्तिशाली व्यवहारिक अर्थ-शास्त्री के रूप में अवश्य सम्मिलित किया जाता रहेगा। वस्तुतः अर्थ शास्त्री कहलाने का हकदार केवल वही होता है जो देश की आर्थिक समस्याओं का निरूपण और आकलन करे तथा तदनुसार व्यावहारिक सुझाव दे। इस दृष्टि से गांधी जी उक्त विद्या में संलग्न लोगों में अग्रगण्य रहेंगे। उनके आर्थिक चिंतन की प्रक्रिया समस्याओं के आकलन और प्रस्तुतीकरण से ही आरंभ होती है। यह प्रक्रिया श्रेयस्कर भी है क्योंकि समस्याओं का उद्गम स्रोत समाज है। अतः विचारों का संदर्भ भी सामाजिक होना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य और समाज का अविच्छिन्न सम्बन्ध है उसी प्रकार चिंतन भी देश-काल के परिवेश को छोड़कर नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संदर्भ रहित चिंतन मात्र बौद्धिक वाग्विलास बनकर रह जाता है। गांधी जी ने सम्पूर्ण भारत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों और अनेकों असहाय लोगों में व्याप्त गरीबी के विविध रूपों और तद्जन्य कुपरिणामों का नजदीक से आकलन किया। गांधी जी ने यह पाया कि समाज का सम्पन्न वर्ग भोग विलास एवं आराम की विदेशी वस्तुओं के प्रति आसक्त है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कमजोर वर्ग के लोगों का सतत शोषण किया जाता है। उनका विचार था कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था विरासत में मिली है। अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। इसलिए उनका विचार था कि यदि भारत को बनाए रखना है तो भारतीय गांवों का काया पलट करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के निदानार्थ गांधी जी ने समय-समय पर जो विचार प्रस्तुत किए वे न केवल उस समय सार्थक थे वरन् उनकी सार्थकता आज भी समान रूप से व्यवहार्य बनी है। यदि गांधीवादी निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर **ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कार्य संपादन किया जाए तो वहां व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी और** असमानता की समस्या का स्वतः निदान हो जाएगा।

गांव की आत्म निर्भरता

प्राचीन काल से ही गांव हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक सत्ता के आधार रहे हैं। आज भी देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः गांधीजी ने जिस नवीन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की उसमें गांवों को ही प्रधानता दी गई। प्राचीन भारत के गांव आत्मनिर्भर थे। अपने आवश्यकता की वस्तुएं वहीं निर्मित कर लेते थे। कृषि और दस्तकारी का अटूट समन्वय था। आवश्यकताएं कम थीं और उनकी पूर्ति के स्रोत भी स्थानीय थे। आज स्थिति लगभग बदल चुकी है। गांव कुछ अति सामान्य वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी निर्मित वस्तुओं के लिए नगरों पर निर्भर हो गए हैं। रोजमर्रा की जो साधारण चीजें गांव में सुगमता पूर्वक बन सकती थीं वे नगर से बनकर गांवों में जा रही हैं। गांधी जी यह चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर बनें, छोटे कारखानों और कुटीर उद्योगों का गांवों में जाल फैल जाए, ताकि आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं गावों में निर्मित कर ली जाएं और अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुओं के लिए नगरों की ओर न देखना पड़े। वे यह चाहते थे कि आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। विकेन्द्रीकरण की अवधारणा से पोषित आत्मनिर्भरता की सिफारिश के पीछे गांधी जी का विचार यह था कि इससे गांवों में लोगों को उत्पादक रोजगार मिलेगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति समग्र सामाजिक उत्पादन में कुछ न कुछ योगदान करेगा। और जन समुदाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। गांव की आत्म निर्भरता से नगरों की ओर होने वाला जनसंख्या का अनुचित बहाव रुकेगा। इससे आजीविका की तलाश में नगरों की ओर आया हुआ ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति दुर्दशामय नगरीय गन्दी बस्तियों और विषाक्त वातावरण में रहने तथा दूषित और शोषणकारी कार्य पद्धतियों से बच जाएगा। गांवों के सक्षम इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाने पर स्थानीय संसाधनों का विदोहन होगा और जनसंख्या के प्रवाह की दिशा स्वतः बदलकर गांवों की ओर उन्मुख हो जाएगी। गांवों की समर्थ आत्मनिर्भरता होने पर नगरीय समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा क्योंकि नगरीय समस्याएं ग्रामीण समस्याओं की ही आधिक्य मात्र है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, प्रशासन और अन्य विविध सेवाओं का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में होने पर प्रत्यक्ष और आनुषंगिक रोजगार में वृद्धि होगी।

सीमित यंत्रीकरण : गांधी जी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सीमित यंत्रीकरण और छोटे उद्योगों की स्थापना के समर्थक थे। वे यह जानते थे कि समस्त ग्रामवासियों को शहरों में लाकर बसाना और उत्पादक रोजगार देना न तो संभव है और न ही समीचीन। इसलिए गांधी जी यह मानते थे कि करोड़ों किसानों को उसके घर गांव में ही काम देना होगा। इसके लिए ग्रामीण समाज में ही कृषिगत और गैर-कृषिगत रोजगार अवसरों का सृजन करना होगा। दोनों क्षेत्रों में व्यापक रोजगार सृजन सीमित यंत्रीकरण की सहायता से भी संभव है। वे इस तथ्य से अवगत थे कि भारी औद्योगीकरण आर्थिक, सामाजिक और जीविक कुपरिणामों से युक्त है और उसकी पराकाष्ठा स्वचालन को जन्म देती है जिसमें व्यक्ति का स्थान गौण हो जाता है। उनका विचार था कि यंत्रीकरण उस स्थिति में अच्छा होता है जब कार्य की तुलना में कार्य करने वालों की संख्या कम होती है। परन्तु जब कार्य करने वालों की संख्या अधिक होती है, जैसा कि भारत में है, तब यंत्रीकरण एक बुराई होती है, भारत में नियोजन काल में यही हुआ एक ओर आर्थिक संवृद्धि बढ़ी और दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ी। परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि वे सब प्रकार के यंत्रों के विरोधी थे। वस्तुतः वे श्रम बचाने वाली विधियों के प्रति उस सनक के विरोधी थे जो लाखों लोगों को बलात अकर्मण्यता के गर्त में गिरा देती है,। वस्तुतः वे व्यक्ति को प्रतिस्थापित

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

* एक रिपोर्ट *

गुजरात, केरल तथा उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकें वार्षिक कार्यवाही योजनाओं के अनुमोदन हेतु क्रमशः 23 जुलाई, 25 जुलाई और 2 अगस्त, 1983 को हुई थीं। इन बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया था।

समीक्षाधीन अवधि में आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश को 1983–84 के दौरान सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1647 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1983–84 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 4691 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

1983–84 के दौरान अभी तक (जून, 1983 तक) संकलित की गई सूचना के अनुसार, 2.46 लाख लाभभोगियों को सहायता पहुंचाई गई है जिनमें से 0.96 लाख लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं, जो कुल लाभभोगियों का 39.5 प्रतिशत बनते हैं। 3053 लाख रुपये की धनराशि को उपयोग में ले लिया गया है। 4635.00 लाख रुपये के आवधिक ऋण वितरित किए गए हैं। तथापि, यह सूचना अनन्तिम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 5453.69 लाख रुपये की धनराशि तथा 34,142 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बंटित नकद निधियां (लाख रुपये में)	बंटित खाद्यान्न (मीटरी टनों में)
1. आंध्र प्रदेश	973.83	14925
2. असम	222.54	—
3. बिहार	1293.89	—
4. हिमाचल प्रदेश	16.21	—
5. जम्मू तथा काश्मीर	74.80	—
6. कर्नाटक	188.10	—
7. केरल	511.50	—
8. मणिपुर	—	165
9. नागालैण्ड	—	75
10. उड़ीसा	257.84	—
11. राजस्थान	190.00	3388
12. उत्तर प्रदेश	1707.06	—
13. पश्चिम बंगाल	—	15550
14. लक्षद्वीप	4.00	16
15. पांडिचेरी	13.92	—
16. मिजोरम	—	23
	5453.69	34142

इस प्रकार, चालू वर्ष अर्थात 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अब तक 6733.98 लाख रुपये की धनराशि तथा 61,964 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत विद्यमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना।

समीक्षाधीन माह के दौरान विद्यमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संस्थाओं को 8.41 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 14.78 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन

समीक्षाधीन माह के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए 0.26 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इस प्रकार अब तक 0.60 लाख रुपये बंटित किए जा चुके हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को 25 लाख रूपये की धनराशि बंटित की गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 162.37 लाख रुपये की धनराशि मध्य प्रदेश को, 33.75 लाख रुपये की धनराशि हरियाणा सरकार को, तथा 198.75 लाख रुपये की धनराशि महाराष्ट्र सरकार को बंटित की गई है।

आस्ट्रेलिया से मुलगा (अकासिया अनौरा) के चारे के बीजों के आयात पर सीमा शुल्क की अदायगी के लिए 1.26 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

कृषि विपणन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान मण्डिया के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 3.88 लाख

ये की धनराशि बंटित की गई है। 1983-84 के दौरान
ब तक 73·88लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण
लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय उपदान के रूप में 1.08
ख रूपये की धनराशि बंटित की गई है।

तर्राष्ट्रीय सहयोग

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के डा० बी०
० मुर्थैया, निदेशक (मनोविज्ञान) को 12 जुलाई से 12 अगस्त
983 तक सियोल (कोरिया) में "एस्केप" द्वारा प्राथमिक
ास्थ्य उपचार के माध्यम से बुनियादी सामुदायिक सेवाओं
विकास के बारे में आयोजित की गई छठी क्षेत्रीय गोष्ठी
भाग लेने हेतु नामित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के डा० आर०
एन० त्रिपाठी, निदेशक (समेकित क्षेत्रीय आयोजना) को 18
से 30 जुलाई, 1983 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में एशिया
तथा प्रशांत क्षेत्र विकास केन्द्र के सहयोग से अर्मन फाउन्डेशन
फार इन्टरनेशनल डेवलपमैन्ट द्वारा आयोजित स्थानीय प्रशासन तथा
क्षेत्रीय विकास से सम्बंधित सेमीनार में भाग लेने हेतु नामित किया
गया था।

विविध

भूमि अधिग्रहण विधेयक, 1894 में संशोधन करने हेतु
सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री
जी की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री
समिति की एक बैठक 15 तथा 16 जुलाई, 1983 को संसद
भवन, नई दिल्ली में हुई थी। मंत्रालय के सभी सम्बन्धित
वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था। □

पंचों के प्रति

---बलवन्त सिंह हाड़ा
--पंचायत प्रसार अधिकारी
झालावाड़ (राजस्थान)

पंचायत का राज सृजलो, है यदि देश बढ़ाना।
सेवा का यह अवसर आया, चूक इसे मत जाना॥
पक्षपात से बचो हमेशा, कोरम की ओर निहारो
पंचायत के बैठ मध्य, न्याय नीति विचारो॥
जो जो दुख अपने गावों में, उसको दूर भगाना।
पंचायत का राज बनालो, है यदि देश बढ़ाना॥1॥
सेवा का यह अवसर---

गांव गांव में अन्धविश्वास का, फौरन भूत भगाना।
बाल विवाह, मृत्यु भोज को गांवों से हटवाना॥
हरिजन, दलित वर्ग जनों की, मदद आपको करना।
पंचायत बन जाए सहारा, ऐसा कर्म निभाना॥2॥
सेवा का यह अवसर---

अच्छा स्वास्थ्य, रोशनी, घर, मीठा जल पिलवाना
स्वावलम्बी हर गांव बने, ऐसा स्वराज लाना॥
हर पीड़ित मानव को, हंस कर गले लगाना।
राम राज बापू का आये, ऐसा यत्न कराना॥3॥
सेवा का यह अवसर---

अपना आप सम्भालो पंचो, जग के खोट निकालो।
अपनी खोट निकाली जिसने, वे ही गांव सम्भाले॥
पंचायत, सहकारी, मिलकर हाट बाजार खुलाना।
गांवों में खुशहाली लाकर, अपना फर्ज निभाना॥4॥
सेवा का यह अवसर---

धारा, नियम, विज्ञप्ति, सभी यही बताते।
पंच कैसे बने देवता, खोल इसे समझाते॥
बापू का जीवन सन्मुख, रखकर कदम बढ़ाना।
यही कार्य है पंचजनों का, इस पर कदम बढ़ाना॥5॥
सेवा का यह अवसर---

बापू का ग्राम-राज्य

महात्मा गांधी जिस समय विदेशी शासन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी उन्होंने स्वतन्त्र भारत की एक तस्वीर अपने मन में संजोई थी जिसको उन्होंने "राम-राज्य" का नाम दिया था। उनके रामराज्य में ग्राम विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था। गांधीजी कहा करते थे कि भारत तो ग्रामों का देश है अतः यहां की प्रगति गांव की प्रगति पर निर्भर करती है —हरिजन में उन्होंने 4 अप्रैल 1936 को लिखा था :—

"मेरा विश्वास है और मैंने इस बात को असंख्य बार दुहराया है कि भारत अपने चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गांवों में बसा हुआ है। लेकिन हम शहरवासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गांवों का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए ही हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ ही नहीं उठाई कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं और धूप तथा वर्षा से बचने के लिए उनके सिर पर छप्पर है या नहीं"

ग्रामवासियों की आर्थिक, सामाजिक दशा को सुधारने के लिए बापू ने ग्रामराज्य बनाने की बात कही थी। क्योंकि ग्रामराज्य की स्थापना से ग्रामों का चतुर्मुखी विकास संभव हो पाएगा। उनके विचार में ग्रामराज्य का मतलब वह समाज रचना नहीं है जो आजकल के दयनीय गांवों में पाया जाता है। ग्रामराज्य का अर्थ तो वह समाज रचना है जो छोटी-छोटी शासकीय इकाइयों पर आधारित हो, जो अपना शासन स्वयं चलाएं। उनका विचार था कि "ग्रामराज्य" केवल ग्रामों तक ही सीमित नहीं है, वह एक नई समाज रचना है जो वर्तमान गांव, शहर और देश का सारा नक्शा बदल देता है। इसके आने पर ही गांव का शोषण बंद हो सकेगा। और तभी सच्चा प्रजातंत्र स्थापित हो सकेगा। इस सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना ग्रामवासी ही कर सकते हैं और वो तभी कर सकते हैं जब कि वो सब आदर्श ग्रामवासी बनें। और ये आदर्श ग्रामवासी ही गांव की दशा में सुधार कर सकते हैं। 7 मार्च सन् 1936 को गांधीजी ने इस संबंध में लिखा:—

"क्या भारत के गांव हमेशा वैसे ही थे जैसे कि वे आज हैं, इस प्रश्न की छानबीन करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर वे कभी भी उससे अच्छे नहीं थे तो इसने हमारी पुरानी सभ्यता का, जिस पर हम इतना अभिमान करते हैं, एक बड़ा दोष प्रकट होता है —लेकिन यदि वे कभी अच्छे नहीं थे तो सदियों से चली आ रही नाश की क्रिया को, जो हम अपने आसपास आज भी देख रहे थे, वे कैसे सह पाते .. हरएक देश प्रेमी के सामने आज जो काम है वह यह है कि इस नाश की प्रक्रिया को कैसे रोका जाए या दूसरे शब्दों में, भारत के गांवों का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, ताकि किसी के लिए भी उनमें रहना उतना ही आसान हो जाए जितना आसान वह शहरों में माना जाता है। सचमुच हर एक देशभक्त के सामने आज यही काम है। संभव है ग्रामवासियों का पुनरुद्धार अवश्य हो, और यही सच हो कि ग्राम सभ्यता के दिन अब बीत गये हैं और सात लाख गांवों की जगह अब केवल सात सौ सुव्यवस्थित शहर ही रहेंगे और उनमें 30 करोड़ आदमी नहीं केवल तीन ही करोड़ आदमी रहेंगे। अब भारत के भाग्य में यही हो तो भी यह स्थिति एक दिन में तो नहीं आएगी, आखिर गांवों और ग्राम-

सियों की इतनी बड़ी संख्या के मिटने में, और बचे रहेंगे उनका शहरों और शहरवासियों परिवर्तन करने में समय तो लगेगा ही।"

भारत गांवों का देश है और गांधी जी म विकास को आजादी की नींव मानते थे। रजन सेवक के 28 जुलाई 1946 के अंक गांधीजी ने इस धारणा के बारे में लिखा :—

"आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा—अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सकें। उसे तालीम देकर इस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमले के मुकाबले में अपनी रक्षा करते हुए मर मिटने के लायक बन जाए। इस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाए, या उनकी राजी-खुशी से दी हुई मदद न ली जाए। कल्पना यह है कि सब लोग आजाद होंगे और सब एक दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे। जिस समाज का हरएक आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसी को नहीं लेनी चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाला होना चाहिए।

ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा, का फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग से नहीं क लहरों की तरह एक के बाद एक की में होगा। जिन्दगी मीनार की शक्ल में नहीं , जहां ऊपर की तंग चोटी को नीचे के पाये पर खड़ा होना पड़ता है। यहां तो की लहरों की तरह जिंदगी एक के बाद रे की शकल में होगी और व्यक्ति उसका बिन्दु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गांव ातिर मिटने को तैयार रहेगा। गांव अपने र्द के गांवों के लिए मिटने को तैयार होंगे तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगों का ाएगा, जो उदन्ड बनकर कभी किसी पर ा नहीं करते, बल्कि हमेशा नर्म रहते हैं और अपने में समुद्र की उस शान को महसूस करते हैं, जिसके वे एक जरूरी अंग हैं।

इस तसवीर में उन मशीनों के लिए कोई जगह नहीं होगी, जो मनुष्य की मेहनत का स्थान लेकर कुछ लोगों के हाथ में सारी ताकत इकट्ठी कर देती हैं। सभ्य और संस्कृत लोगों की दुनिया में मेहनत का अपना अनोखा स्थान है। उसमें ऐसी मशीनों की गुंजाइश रहेगी, जो हर आदमी को उसके काम में मदद पहुंचाएं।"

गांवों को यह विकास छू न सका। गांधीजी ग्राम-विकास के संबंध में पूर जोर से कहा करते थे कि "ग्रामीणों का शहरों द्वारा शोषण किया जा रहा है और उनका धन शहरों को जा रहा है। गांधीजी कहते थे कि——

"ग्राम विकास के पीछे यह भावना है कि हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांवों से करें, और जब हम यह देखें कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति गांवों द्वारा नहीं हो सकती तब हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या थोड़े से यत्न तथा संगठन द्वारा ग्रामीण जन ही लाभकारी ढंग से इन वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर सकते। लाभ का अनुमान लगाते समय हमें ग्रामीण के बारे में सोचना चाहिए न कि अपने बारे में। हो सकता है कि प्रारंभ में हमें साधारण मूल्य से कुछ अधिक देना पड़े और बदले में कुछ कम अच्छी चीज मिले, पर यदि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वालों का ख्याल करेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि वह अपने काम को बेहतर ढंग से करें और इसके लिए उन्हें मदद देने का भी कष्ट उठायेंगे तो स्थिति अवश्य सुधर जाएगी। ग्रामीणों को इतने ऊंचे दर्जे की कुशलता विकसित कर लेनी चाहिए कि उनके द्वारा तैयार चीजें बाहर तुरन्त बिक जाएं। जब हमारे गांव पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे तब उनमें ऊंचे दर्जे की कुशलता तथा कलात्मक प्रतिभा वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी। उनमें ग्रामीण कवि, ग्रामीण कलाकार, ग्रामीण शिल्पकार, भाषाविद् तथा संशोधन करने वाले होंगे। संक्षेप में जीवन की कोई भी ऐसी वांछनीय चीज न होगी जो गांवों में न पाई जाएगी। आज (भारतीय) गांव गोबर के ढेर हैं। कल वे नन्दन वन के समान हो जाएंगे, जिनमें अत्यंत मेधावी लोग निवास करेंगे, जिन्हें न तो कोई ठग सकता है, और न ही शोषण कर सकता है।"

आज गांधीजी के स्वपन को अगर साकार करना है तो भारत जैसे गरीब देश में ग्राम-विकास को प्रमुखता देनी ही होगी। भारत के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए ग्राम-विकास का क्या उद्देश्य है इस बहस में न पड़ कर हमें सब एक-जुट होकर ग्राम विकास की योजना में तुरंत लग जाना होगा। □

सुरेन्द्र अग्रवाल
बी/12/223,
लोधी कालोनी,
नई दिल्ली।

———— ✳ ————

धरती को हरा भरा बनाकर मिट्टी में हरा सोना पैदा करने में कृषकों का कितना पसीना गिरा, इसका हिसाब लगा कर रखा जाए। खेतों की मेड़ों पर उसने कितनी रातें बिताईं, मचान से उसने सुख–दुख के मूक–सावाक गीत गाए, उसकी गिनती हो। प्रकृति के साथ जुझारु संघर्ष में मां की ममता, पत्नी के प्रेम, बच्चों के दुलार, बहनों के स्नेह, बूढ़े बाप के प्यार ने कितना त्याग-बलिदान किया है, इसका इतिहास लिखा जाए। अनिवार्यतः यह जानने और समझने की फुरसत अपरिहार्य हो कि ठिठुरती सर्दी, चिलचिलाती गर्मी, घनघोर वर्षा, प्रलयंकारी बाढ़, विनाशकारी अकाल, जानलेवा सूखा, तबाह करने वाला भूकम्प व बर्बाद करने वाला भूस्खलन और धूप छांव के साथ समय–असमय धरती का पृष्ठ शश्य-श्यामला बनाने में एक ओर अकेला आंखों में शक्ति, मन से पवित्रता सिर पर समस्याओं का बोझ लादे यही जो हल थामे खड़ा है आशुतोषी, यही कर्मठ, लगन और श्रम का धनी भारतीय कृषक (होरी) है और यही है गांवों की प्रकृति का धनी देश भारतवर्ष। साम्प्रदायिक भावना से कोसों दूर, इस कृषि प्रधान महादेश के किसान जैसा भोला निष्कपट, ममतामय सुहृदय अतिथिसेवी कहां मिलेगा धरती का परिश्रमी देवता, इस समस्त भू-मण्डल पर?

"आज रहीम मियां की लड़की का ब्याह है, तो बिटिया अकेली रहीम मियां की ही नहीं, बल्कि गांव भर की है

उसकी बारात गांव भर की बारात है । उसके इस्तकबाल में न रहीम मियां कसर रखेंगे न खैरमकदम (स्वागत) में रामजी अभाव महसूस होने देंगे । आज तुलसी के घर पहुना आया है, तो खुदाबन्द करीम उसकी खातिरदारी (सत्कार) हेतु आगे आकर अपनी गौरी गाय के ताजे दूध से उस मेहमान का आवभगत कर रहे हैं । रात मंदिर में कोई फकीर ठहरा था और शायद वह भूखा ही सो गया, तो भोर से ही सारे गांव की आत्मा तिलमिला रही है । रात बटोही न भूखा सोएगा, न पथिक प्यासा जाएगा । खुशी में सब एक हैं, गमी में सब एक हैं । फकीरा नाई है और हीरा है चौधरी । फकीर आयु में बड़ा है और हीरा छोटा । मगर, मजाल है कि चौधरी बिना चचा कहे कभी फकीरा को सम्बोधित करे । वहां ताऊ, काका, भैया, अदि के सम्बन्धों से व्यक्तियों की पुकार होती है । अबे-तबे के सम्बोधनों की चाबुक से पीठ नहीं छीली जाती । यहां झूठी गवाही पर फैसले नहीं होते यह शहर की कचहरी नहीं, गांव के पंचायत की अदालत है । पंचपरमेश्वर की गद्दी पर चाहे हारुन बैठे अथवा विकरमा, खाला के साथ इन्साफ ही होगा । तन से स्वस्थ, मन से निष्कपट भारतीय कृषक की आत्मा की कहानी परस्पर सहयोग सद्भाव सौहार्द, आदर और प्रेम-प्यार पर आधारित निःस्वार्थ सादे जीवन की श्रमभरी सम्मानवीय खुली दास्तान है । उस पर पैसे का मुलम्मा न चढ़ सके । गांवों में चेहरे मिलें, नकाब नहीं विगत स्वर्णिम गौरव गरिमा (ऋग्वेद-10/146/6 के अनुरूप) तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा ही था पूज्य बापू के आजाद भारत का नक्शा ।

भारत के स्वातन्त्रय-समर की अपनी निराली प्रकृति के कारण कहा जा सकता है कि वह राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष केवल राजसत्ता के लिए नहीं, अपितु आत्मसत्ता के निमित्त था । यही कारण था कि भारत के राजनैतिक आकाश के सूर्य सम्पूर्ण जीवन समाज सेवार्थ समर्पित करने वाले गांधीजी उस स्वराजतन्त्र संस्था के अंग नहीं बने । ग्राम-वासिनी भारत मां (हजारों हजार गांवों) की सेवा में लगे रहने का संदेश दिया था उन्होंने । दिल्ली के धर्मराज युधिष्ठर द्वारा स्थापित नगरी इन्द्रप्रस्थ में ही रहकर गांव-गांव न पहुंचे, तो वह स्वराज्य कैसा ? बस, यहीं आकर स्वराज और सुराज का अनुपम मल होता है, जिसे पाकर (जीव हिंसा, मद्यपान, वैश्यागमन, चोरी और विश्वासघात पांच महापतकों के अभाव में) ही जनता कह उठी थी--"दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहिं काहुहिं व्यापा ।" यह रूप दरिद्रनारायण की सेवा और अपरिग्रह पर आधारित है ।

यह सच है कि आत्मबल से प्राप्त सत्ता भी अपरिग्रह को अपनाकर ही अधिकतम व्यक्तियों को संतोष देती हुई अजरता अमरता के योग्य बन सकती है । अनेक सुप्रसिद्ध विचारकों ने भी इस बात को दोहराया है--"सबसे अच्छी सरकार वह है, जो हमें अपने ऊपर शासन अर्थात अनुशासन करना सिखाती है ।" राजकीय अपरिग्रह के रूप का कुछ संकेत हमको समाजवादी संत कबीर दे गए हैं "इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए ।" और यही आधुनिक भारत के योगी कर्मवीर संत गांधीजी के 'रामराज्य' की परिकल्पना थी ।

दुनिया के सबसे बड़े अहिंसक क्रान्ति कारी नेता, संत और युगपुरुष गांधी व स्वाधीन भारत में अपना सपना था--"हम स्वराज्य में आदमी ज्यादा खुल कर स बोल सकेगा, निश्चित और निरापद जहां चाहेगा जा सकेगा । किसी ब बेटी की इज्जत खतरे में नहीं होगी अपने स्वतन्त्र देश में किसी के घर दि दहाड़े लूट का जोखिम नहीं होगा क्योंकि तब हमारे मन में यह सब करते ह संकोच होगा क्योंकि ऊंच-नीच की भाव से रहित अपने वतन का सुराज है ---

तब आइये । युगान्तकारी महापुरुष महात गांधी के पावन जन्म दिवस के शुभ अवस की मंगल बेला पर अपने अन्तराल की एकनि श्रद्धा और आत्मसमर्पण की पवित्र काम में स्मरणीय गांधी की परिकल्प के अनुसार "रामराज्य" लाने उनका अपना सपना साकार करने हेतु संकल्पित हों :--

"यह शहर की कचहरी नहीं, गांव के पंचायत की अदालत है । पंच परमेश्वर की गद्दी पर चाहे हारुत बैठे अथवा विकरमा, खाला के साथ इंसाफ ही होगा । तन से स्वस्थ, मन से निष्कपट भारतीय कृषक की आत्मा की कहानी परस्पर सहयोग, सद्भाव सौहार्द आदर और प्रेम-प्यार पर आधारित निस्वार्थ सादे जीवन की श्रम भरी सम्मानीय खुली दास्तान हो । गांव में चेहरे मिलें, नकाब नहीं ।'

'एक कोशिश हम करें सब--
आकार दे दे जो सपने को
सफल कर दे हर लगन को
चमक दे दे हर नयन को
एक कोशिश हम करें सब ----।

श्रीकान्त पाण्डे
पत्रकार, पो० बा० 2
गन्ना भवन, उत्तर प्रदे
2, माल एवन्
लखनऊ-226001

बिहार के आदिवासियों की भलाई के लिए नए कार्यक्रम

राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बिहार सरकार आदिवासियों के लिए एक उपयोजना यार की है जिसके लिए अलग से जट का प्रावधान किया गया है । क्षेत्रीय वकास आयुक्त, रांची को इस आदिवासी पयोजना के अन्तर्गत योजनाएं अनुमोदित रने का अधिकार दिया गया है । इस ादिवासी उपयोजना के अन्तर्गत 112 लाक आते हैं जो रांची, लोहारडांगा, मला, पालामाऊ, सिंहभूम, डुमका, साहिब-ज जिलों तथा जमतारा, लटेहार सब-वीजनों, गढ़वा सब-डिवीजन के भंडारिया लाक तथा गोड्डा जिले के सुन्दर पहाड़ी या बोआरजोर ब्लाकों में फैले हुए हैं ।

इस आदिवासी उपयोजना के कार्यक्षेत्र बाहर 41 विशेष आदिवासी उपक्षेत्र पाकेट) हैं । इन उपक्षेत्रों में "परिवर्तित त्र विकास नीति" कार्यक्रम के अन्तर्गत ादिवासी कल्याण योजनाएं चलाई जा ही हैं ।

1971 की जनगणना के अनुसार ादिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आने ले क्षेत्रों में 37.85 लाख आदिवासी हते हैं जबकि 41 विशेष आदिवासी पक्षेत्रों (पाकेटों) में 4.24 लाख आदिवासी हते हैं ।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों संबंधित मानवशास्त्रीय, सामाजिक तथा र्थिक अध्ययन करने के लिए बिहार आदि-सी कल्याण अनुसंधान संस्थान स्थापित या है । आदिवासियों से छोटे वन तथा त्पाद-लाभकारी मूल्य पर खरीदने के ए बिहार राज्य आदिवासी सहकारी कास निगम की स्थापना की गई है । यह निगम आदिवासी सहकारी संगठनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा ताकि वे आर्थिक विकास के कार्यक्रम चला सकें ।

राज्य में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया है । इसने पहले ही अनुसूचित जनजातियों के लिए 56 आवासीय विद्यालय खोले हैं जहां रह कर 7,518 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं । राज्य में 217 छात्रावास हैं जिनमें 6825 विद्यार्थी रहते हैं ।

वर्ष 1980–81 से ही राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों ही मिलकर आदिवासियों सहित पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने पर काफी बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च करती आ रही हैं । ये योजनाएं कृषि अनुदान, कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता; मकान बनाने चिकित्सा तथा कानूनी सहायता तथा शिक्षा से संबंधित हैं । वर्ष 1982–83 में इन योजनाओं पर कुल 833 लाख रुपये खर्च किए गए। वर्तमान वर्ष में 856.17 लाख रुपयों का प्रावधान है । यह धनराशि पिछले वर्ष से 26 लाख रुपये अधिक है ।

बिहार में आदिवासियों के लाभ हेतु चलाए जा रहे चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी अच्छी प्रगति हुई है । यह बात सर्वविदित है कि पहले आदिवासियों की उपेक्षा की जाती थी तथा उनके स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए बहुत थोड़े प्रयास किए जाते थे । बिहार में हाल ही में आदिवासियों के इलाज के लिए कई अस्पताल खोले गए हैं । राज्य में दो मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, 19 प्रेषण (रैफरल) अस्पताल (जहां छोटे औषधालयों से मरीज आते हैं), 192 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, 2,077 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 18 सब-डिवीजनल अस्पताल, 6 सदर (बड़े) अस्पताल, 6 क्षय रोग केन्द्र तथा 6 कुष्ठ नियंत्रण इकाइयां हैं । इनके द्वारा राज्य के लोगों विशेषतया आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है ।□

गढ़वाल में सड़क विकास की वांछनीयता

आज यह ठीक ही कहा जाता है कि जिस देश में मानव को यातायात और माल की ढुलाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वह देश सभ्य देशों की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। परिवहन के साधनों के विस्तार और उनकी द्रुतगति के कारण आज दुनिया सिकुड़ कर छोटी हो गई है। इसके अतिरिक्त उद्योग और वाणिज्य का सम्पूर्ण ढांचा परिवहन रूपी नींव पर निर्भर करता है। परिवहन एक देश का दर्पण है जिसमें देश की प्रगति का बिम्ब दिखाई देता है। परिवहन साधनों के अभाव में किसी देश के औद्योगिक विकास और वहां विशाल उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कृषि, उद्योग, खनन आदि के विकास के लिए परिवहन प्रणाली का सुविकसित होना अनिवार्य है।

उद्योगों की स्थापना में सड़कों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि आधुनिक समय में यह मान्यता जोर पकड़ती जा रही है कि सड़क विकास को शक्ति के साधनों के विकास की भांति प्राथमिकता देनी चाहिए। सड़क परिवहन गढ़वाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में धमनियां हैं। किसी भी विकास कार्य की प्रथम शर्त उचित यातायात के साधन हैं। पीठ का बोझ सदियों से यहां मानव के लिए अभिशाप रहा है। कहीं-कहीं 25 कि० मी० से भी अधिक दूरी तक पैदल चलने के पश्चात् मोटर मार्ग के दर्शन होते हैं। गढ़वाल में रेल परिवहन का जाल बिछाना संभव नहीं है। सड़क परिवहन आर्थिक विकास के अतिरिक्त सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। गढ़वाल में सड़क विकास की वांछनीयता अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है :—

1. गढ़वाल हिमालय में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां सड़कों के अतिरिक्त परिवहन के अन्य साधनों का प्रवेश संभव नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र के कई स्थान ऐसे हैं जहां प्रचुर मात्रा में खनिज एवं वन सम्पत्ति उपलब्ध है किन्तु सड़कों के अभाव में उनका विदोहन नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार सड़कों के विकास के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

2. गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र सड़कों द्वारा विकसित क्षेत्रों से जितने अधिक जुड़े होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्पादन उतना ही अधिक अच्छी प्रकार शहरी मण्डियों तक पहुंच सकेगा। गढ़वाल में बड़ी मात्रा में ऐसी भूमि है जिसपर मार्गों के अभाव में कृषि संभव नहीं। यदि ऊसर और पड़ती भूमि में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए तो कृषक खेती के लिए उस भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय सड़क एवं परिवहन विकास संस्था के अन्वेषणों ने यह सिद्ध किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सड़क बनाने मात्र से हम कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं।

3. गढ़वाल में सड़कों के विकास द्वारा कृषि के स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है तथा खाद्यान्न के स्थान पर व्यापारिक फसलें अधिक उगाई जा सकती हैं। कृषि के स्वरूप में परिवर्तन होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा उनका जीवन-स्तर भी ऊंचा उठ सकेगा।

4. सड़कों के विकास से पर्यटन यातायात में अपूर्व वृद्धि हो सकती है। हिमाच्छादित हिमालय पर्वत, रमणीक नदियां, घाट, सुन्दर झीलों, सघन वन आदि अनेक स्थान ऐसे हैं जो विदेशी लोगों के लिए अद्भुत आकर्षण उपस्थित करते हैं। जिससे हमें अति वांछित विदेशी विनियम लाभ ही नहीं वरन् विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा को भी चार चांद लग जाएंगे।

5. गढ़वाल क्षेत्र में जनसंख्या बाहुल्य की स्थिति है किन्तु लोगों को काम देने वाले साधन कम हैं। सड़कों का महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक है कि प्रत्येक मोटर ठेले के सड़क पर आने से 13 और प्रत्येक मोटर बस से 7 व्यक्तियों को काम मिलता है। अतः बेरोजगारी दूर करने में भी सड़कें एक अपरिहार्य भूमिका अदा कर सकती हैं।

6. अन्त में सड़कें ही औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करती हैं। रेलें

जिन्हें अधिक माल और सवारियां चाहिए। प्राय: उन स्थानों के लिए रेलें विशेष लाभदायक सिद्ध होती हैं जहां औद्योगिक धन्धों का केन्द्रीकरण हो। कम विकसित क्षेत्र अथवा वे क्षेत्र जहां उद्योग धन्धे केन्द्रित नहीं हैं रेलों की परिधि से बाहर रह जाते हैं। अत: सड़कों के माध्यम से ही ऐसे अविकसित आंचलिक क्षेत्रों में उद्योग धन्धों का स्थापन और विकास सम्भव है।

गढ़वाल में यातायात का विकास

गढ़वाल हिमालय में आर्थिक विकास के अतिरिक्त सुरक्षा एवं तीर्थयात्रा के दृष्टिकोण से यातायात के साधनों का अपना

सड़क का इतना विकास होने पर अभी भी कुछ गांवों में पहुंचने के लिए मोटर सड़क से 15 या 20 कि० मी० का बीहड़ श्रमसाध्य मार्ग तय करना पड़ता है। चीनी आक्रमण के पश्चात् मोटर मार्ग निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई परन्तु लिंक रोड अभी भी पर्याप्त संख्या में नहीं बन पाए हैं। आराकोट, पंचगई, बंधाड़, भिलंग, गंगी भरदार, जखोली, ढांगू, मदमहेश्वर आदि दूरस्थ स्थानों में यातायात के साधनों का सर्वथा अभाव है।

सड़कों के निर्माण से गढ़वाल में पर्यटन का स्वरूप बदलता जा रहा है। यात्रा मार्गों पर सड़कों के गलत नियोजन के कारण कई महत्वपूर्ण तीर्थस्थान उपेक्षित रह गए हैं। उदाहरणस्वरूप—मोटरमार्ग से पूर्व केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले अधिसंख्य यात्री त्रियुगीनारायण तथा

नियोजक, नेतृत्व एवं अधिकारी वर्ग इस दिशा में ध्यान केन्द्रित करेंगे।

1. कांडाखाल—चेलूसैंण
2. डेरियाखाल—बीरोखाल
3. मूसागली—थैलीसैंण
4. मरोड़ा—देवराजखाल
5. कर्णप्रयाग—नारायणबगड़—तलवाड़ी—ग्वालदम
6. ऊंखीमठ—चमोली
7. नन्दप्रयाग —घाट—धराली
8. देवप्रयाग—कोटेश्वर—टिहरी
9. चम्बा—भल्डियाला
10. पुरोला—जखोला।
11. गंगोत्री—गोमुख
12. गंगनानी—हनुमान चट्टी, इत्यादि।

रेल मार्ग :

1. ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल

गिरिराज हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल मण्डल का उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गढ़वाल पांच जनपदों : पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी एवं देहरादून : को सम्मिलित भौगोलिक एवं सांस्कृतिक इकाई का नाम है। यहां विकास की प्रबल प्रेरणाएं एवं संभावनाएं हैं। गढ़वाल क्षेत्र में खनिज पदार्थों के प्रचुर भण्डार मौजूद हैं। वनसम्पदा की कोई कमी नहीं है। जलशक्ति के अनन्त भण्डार विद्यमान हैं। जलवायु ऐसी है कि वर्ष भर मनुष्य आराम से कार्य कर सकता है। रमणीक स्थल इतने हैं कि दुनिया के पर्यटक आकर्षित किए जा सकते हैं। फूलों की वादियां मौजूद हैं। हिन्दुओं के बड़े-बड़े तीर्थ स्थान हैं। यह कहिए प्रकृति ने गढ़वाल को क्या नहीं दिया है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी गढ़वाल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस संदर्भ में गढ़वाल विकास की दिशा में सड़क विकास की वांछनीयता एवं संभावनाओं पर प्रस्तुत लेख में प्रकाश डाला है।

महत्व है। गढ़वाल हिमालय में प्रथम रेलवे लाइन 1897 में कोटद्वारा तक बिछी थी जो अब तक यहां तक सीमित है। कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण हुआ था किन्तु इस दिशा में अभी तक कोई ठोस रूपरेखा नहीं बन पाई है। यातायात की वर्तमान स्थिति निम्न तालिका में निर्दिष्ट है।

क्र० सं०	जिले का नाम	सड़कें : कि० मी० में :
1.	देहरादून . .	729
2.	पौड़ी गढ़वाल .	964
3.	चमौली . .	431
4.	टिहरी . .	679
5.	उत्तरकाशी .	467

तुंगनाथ की यात्रा करते थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ के मुख्य मोटरमार्ग से अलग हट जाने के कारण अब इन तीर्थों का आवागमन अति न्यून हो चुका है। मोटर मार्गों के निर्माण से पूर्व पर्यटकों से प्राप्त अधिकांश आय स्थानीय निर्धन निवासियों की आजीविका होती थी। परन्तु अब अधिकांश मात्रा मोटर कम्पनियों के समृद्ध हिस्सेदारों में बंट जाती है।

विगत वर्षों में तीर्थ यात्रा एवं सामरिक दृष्टिकोण से इस दिशा में द्रुतगति से उल्लेखनीय कार्य किया गया है जिसे अनवरत रखने की आवश्यकता है परन्तु स्थानीय जनता के हित को देखते हुए लिंक मार्गों की नितान्त आवश्यकता है। कुछ सड़कों का निर्माण कार्य अग्रलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। आशा है

लाइन बिछाई जानी चाहिए, इसका सर्वेक्षण अंग्रेजी काल में हुआ था।

2. नयार नदी के किनारे-किनारे कोटद्वारा से थैलीसैंण तक भी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है।

वायुयान सेवा

दूधातोली एवं हरकीदून में हवाई अड्डे बनाए जाने चाहिए।

रज्जू मार्ग

गढ़वाल में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में उभर रहा है। पौड़ी, भरतनगर, नरेन्द्रनगर, जोशीमठ, गोपेश्वर, लैंसडाऊन एवं प्रतापनगर में रज्जू मार्गों की व्यवस्था की जा सकती है।

छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय

क्षेत्र के विकास के लिए 570 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1981-82 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए 86 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था जिसमें केन्द्रीय सहायता का अंश 41.20 करोड़ रुपये था। इस योजनाकाल में पर्यटन विकास हेतु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार तथा उनके यातायात आदि करने की व्यवस्था है तथा 500 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य के क्षेत्रों को मोटरमार्गों से जोड़ा जाएगा।

सड़क विकास की समस्याएं

गढ़वाल में प्रारम्भिक अवस्था में सड़क विकास की दृष्टि से अनेक गम्भीर समस्याएं रही हैं और वर्तमान में भी कुछ समस्याएं मौजूद हैं। इन सभी समस्याओं को संक्षेप में निम्नवत् रखा जा सकता है।

1. गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां सड़कें बनाना एक कठिन कार्य है और उस पर भी केन्द्र की सहायता पर्याप्त न मिलने पर राज्य सरकार इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाती।

2. गांवों में जाकर सर्वेक्षण करने पर पता चला कि बहुत से गांवों में सड़क इसलिए नहीं पहुंचायी जा सकी क्योंकि गांववालों ने अपने गांव से सड़क निकालने का विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि अगर गांव सड़क से अत्यधिक निकट हो गया तो इससे भ्रष्टाचार फैल जाएगा। कहीं गांव वालों की जमीन में सड़क आ रही थी इस कारण भी गांव वालों ने अपनी भूमि में सड़क निकालने का विरोध किया।

3 सड़क विकास योजना का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जो तालमेल बैठाना चाहिए वह नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय स्तरों पर सड़क विकास की व्यवस्थित योजना में कमी है।

4. गांव नगरों में बदल रहे हैं और नगर आकार तथा जनसंख्या में निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। इन स्थानों में सड़कों की समस्या ने विकट रूप ले रखा है। बहुत सी सड़कें तो इस स्थिति में हैं कि वे बढ़ते हुए भार को सहन नहीं कर सकतीं।

5. राज्य के आर्थिक साधन इतने सम्पन्न नहीं हैं कि वे आवश्यकतानुसार तेजी से सड़क विकास कार्य को अपने यहां सम्पन्न कर सकें। केन्द्र की सहायता के अभाव में राज्य में ग्रामीण सड़कों का तेजी से विकास एक कठिन प्रश्न है।

6. सड़क विकास की समस्या विपुल व्यय सम्बन्धी है। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के लिए भारी मात्रा में धन आवश्यक है किन्तु राज्य के आर्थिक साधन एकदम अधिक पूंजी विनियोजन की आज्ञा नहीं देते।

7. गढ़वाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान क्षेत्र है और यहां के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ देना एक बड़ी बात है। यह कोई अल्पकालीन कार्य नहीं है परन्तु इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना आवश्यक है।

निष्कर्ष के रूप में सड़क के विकास एवं विस्तार से प्रत्येक रूप में औद्योगीकरण को सहायता मिलती है। सड़क विकास से नए-नए उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है। इसलिए भारत में गढ़वाल जैसे विकासमान क्षेत्र के लिए सड़क विकास तथा संचार के विस्तार का महत्व आधारभूत है। इस प्रकार देश की उन्नति और समृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास एकमात्र सड़कों पर ही निर्भर है। अतः सड़कों का निर्माण और उनका उपचार एक देश सेवा और सामाजिक कार्य है। इस तथ्य को समझकर प्रत्येक गढ़वाल वासी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सड़कों के निर्माण और विकास में तन मन और धन से पूर्ण सहयोग दे। □

अभय कुमार
प्रवक्ता–अर्थ शास्त्र
राजकीय महाविद्यालय
जयहरिखाल, लसडाऊन
: गढ़वाल : उ० प्र०–246139

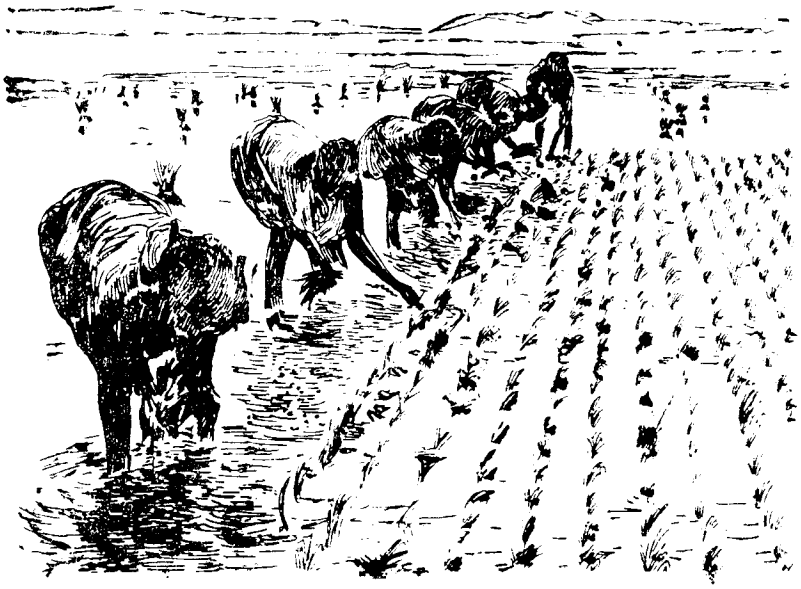

ग्रामीण विकास में यातायात एवं परिवहन की भूमिका

हरिकीर्तन राम एवं परमात्मा मिश्र

भारत जसे ग्राम प्रधान विकासशील देशों की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में यातायात एवं परिवहन साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन साधनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उत्पाद क्रमशः ग्रामीण विपणन केन्द्रों, कस्बों, नगरों, कारखानों तक पहुंचते हैं और नगरीय उत्पाद या निर्मित वस्तुएं इन्हीं के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ताओं तक आती हैं। उत्पादन स्थल और उपभोक्ता तक वस्तुओं के आयात-निर्यात में परिवहन तन्त्र एक क्रमबद्ध श्रृंखला या कड़ी की भांति कार्य करता है। परिवहन तन्त्र का आर्थिक महत्व होने के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों को मजबूत करने में इनकी दोहरी भूमिका होती है अर्थात देश के विभिन्न भागों के मानव के बीच परिवहन साधनों से ही संसर्ग पैदा होता है, जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ती है तथा वे आपस में एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं।

किसी देश में यदि नवीन कल्पनाओं एवं आशाओं का संचार है तो वहां के नियमित यातायात एवं परिवहन साधनों के मूल्यांकन से ही उनका ज्ञान हो सकता है। आर्थिक प्रगति में परिवहन मार्ग धमनियों एवम् शिराओं की भांति कार्य करते हैं जिसके द्वारा विकास रूपी रक्त का संचार होता है। ये परिवहन मार्ग ग्रामों को ग्रामों, शहरों को शहरों तथा ग्रामों को शहरों से ही केवल नहीं जोड़ते अपितु कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अपरिहार्य भी होते हैं।

भारत में परिवहन का विकास

भारत में परिवहन मार्गों के निर्माण की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी परिवहन मार्ग का उल्लेख मिलता है। सिन्धु घाटी सभ्यता के समय भी सड़कें थीं। मुगल शासकों ने भी सड़कों के निर्माण पर काफी बल दिया था। लेकिन लार्ड डलहौजी के समय से भारत में परिवहन मार्गों के निर्माण का नया युग प्रारम्भ हुआ। रेल-पथों के निर्माण के साथ-साथ सड़कों के विकास पर भी अधिक बल दिया गया। इस कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी० डब्ल्यू० डी०) की स्थापना (1855) हुई।

भारत सरकार ने 1934 में परिवहन व्यवस्था के विकास हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन नागपुर में किया था, जिसमें देश के तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में 10 वर्षीय सड़क योजना तैयार की गई जो "नागपुर योजना" के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पहली बार सभी क्षेत्र की सड़कों का योजनाबद्ध तथा सन्तुलित विकास करना था। इस योजना के अनुसार वास्तविक कार्य 1947 से प्रारम्भ हुआ तथा 1950–51 तक पूरे देश में पक्की सड़कों की लम्बाई 1.312 लाख कि०मी० से बढ़कर 1.552 लाख कि०मी० तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 2.080 लाख कि०मी० से बढ़कर 2.416 लाख कि०मी० हो गई।

नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में सड़कों की लम्बाई 14 लाख कि० मी० से अधिक है। लेकिन 70 प्रतिशत सड़कें अभी भी कच्ची हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को नगरों तथा ग्रामीण केन्द्रों से जोड़ती हैं। फिर भी सड़कों का इतना विस्तार बहुत कम देशों में है। जब क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के संदर्भ में भारतीय सड़कों का मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विकसित देशों की तुलना में भारत में सड़कों का विकास पर्याप्त नहीं है। यदि भारत की ग्रामीण सड़कों की लम्बाई तथा उनकी स्थिति का अध्ययन करें तो स्थिति अधिक संतोषप्रद नहीं होगी।

ग्रामीण विकास में यातायात एवम् परिवहन की भूमिका का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:—

परिवहन तथा क्षेत्रीय सम्बद्धता

किन्हीं दो क्षेत्रों के परस्पर कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध का स्तर उन्हें सम्बन्धित करने वाले परिवहन साधनों की क्षमता तथा पारस्परिक आयात-निर्यात के परिणाम से परिलक्षित होता है। विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्य है क्योंकि क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं। कोई भी क्षेत्र अथवा प्रदेश एकाकी नहीं रह सकता। इसका मूल कारण यह है कि पृथ्वी तल पर भी तत्व एकत्रित न होकर अलग-अलग उपलब्ध होते हैं। तत्वों के परस्पर अन्तर्सम्बन्ध की दशाओं तथा स्तर में भी क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं। अतः संसाधन सम्पन्नता एवम् उनका उपभोग किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले तत्व समूहों का दूसरे स्थान के तत्व समूहों के पारस्परिक समन्वय से होता है। अपार प्राकृतिक संसाधन, कृषि योग्य भूमि, वनस्पति, विविध धात्विक खनिज एवम् शक्ति संसाधनों के होते हुए भी उनका परस्पर सम्बन्ध एवं सही उपयोग नहीं हो पाता।

प्राचीन काल में जब परिवहन मार्गों में जल मार्ग का प्रयोग होता था, उस समय क्षेत्रीय सम्बद्धता न्यूनतम थी। स्थल परिवहन में सड़क एवं रेल के

विकास के फलस्वरूप क्षेत्रीय सम्बद्धता में काफी वृद्धि हुई। वायु परिवहन का उपयोग तो मात्र बड़े-बड़े केन्द्रों या अन्तर्देशीय व्यापार में ही प्रयुक्त होता है अतः क्षेत्रीय सम्बद्धता में इसकी कम भूमिका होती है। स्थल परिवहन में पक्की एवम् कच्ची सड़कों द्वारा क्षेत्रीय प्रसार एवं सम्बद्धता को अधिक प्रोत्साहन मिला है।

परिवहन तथा क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक समन्वयन

किसी प्रदेश के आर्थिक विकास का स्तर उसके व्यापार एवं परिवहन तन्त्र से परिलक्षित होता है। ग्रामीण प्रधान क्षेत्रों में कृषक समुदाय अधिशेष कृषि-उत्पादों (खाद्यान्नों, सब्जी, फल, दूध तथा मुद्रादायिनी फसलों आदि) का विक्रय निकटवर्ती विपणन केन्द्रों, कस्बों, मंडियों या नगरों में करते हैं। परिवहन की उचित व्यवस्था न होने के कारण कृषक अपना उत्पादन ग्राम गृह, आवर्ती विपणन केन्द्र या ग्रामीण वणिक को कम मूल्य पर विक्रय के लिए बाध्य हो जाते हैं। साथ ही बाह्य नगरीय उत्पाद को अधिकतम मूल्य पर क्रय करते हैं जिसके कारण न तो उन्हें उचित मूल्य ही मिल पाता है और न सस्ती सेवा ही सुलभ हो पाती, जिसके कारण उनका आर्थिक स्तर निम्न बना रहता है। इसके अतिरिक्त कृषक कृषि के नवीन प्रवर्तनों यथा—उत्तम बीज, कृषि यन्त्र, रासायनिक खाद आदि को परिवहन के विकास के फलस्वरूप ही समुचित प्रयोग कर सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ग्रामों में जहां परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां अधिकांशतः भूमि कृषि कार्यों में प्रयुक्त नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या अन्य कृषि यन्त्रों को ले जाना कठिन होता है। यदि इन क्षेत्रों में कच्ची अथवा पक्की सड़कों का निर्माण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

ग्रामीण प्रदेशों में कृषि उत्पादों का क्षेत्रीय संकलन एवम् वितरण अथवा दूसरे प्रदेशों को आयात-निर्यात परिवहन मार्गों के सहारे होता है। एक क्षेत्र का सम्बन्ध अन्य क्षेत्रों से तब तक स्थापित नहीं हो सकता जबकि परिवहन मार्गों एवम् साधनों का उचित विकास न हो। व्यापार की मात्रा एवं परिवहन व्यय लागत परिवहन साधनों की भार वहन क्षमता पर निर्भर करती है।

शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे हरी साग-सब्जी, दूध, अंडा आदि के लिए सुरक्षित एवं तीव्रगामी परिवहन की आवश्यकता होती है। अतः क्षयज वस्तुओं के संदर्भ में यह आवश्यक है कि उत्पादन स्थल से निकटतम मांग क्षेत्र या बाजार हो अथवा बड़े केन्द्रों तक ले जाने की समुचित व्यवस्था हो जिससे कृषक को उचित लाभ मिल सके एवं कृषि उत्पादन में प्रोत्साहन मिल सके।

यातायात एवं परिवहन के तीव्रगति से विकास के कारण मानव की गतिशीलता बढ़ती है और वह दूरस्थ क्षेत्रों से भी सम्बन्ध स्थापित करता है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से सम्पर्क करने के कारण उसके भाषा, ज्ञान, तकनीकी, नवीन खोजों, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में वृद्धि होती है।

ग्रामीण कृषक अच्छे परिवहन साधनों द्वारा जब मंडियों एवं नगरों से सम्पर्क करता है तो उसके क्रिया-कलाप समुन्नत एवं प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में परिवहन साधनों की उपलब्धि से ग्रामीण क्रिया-कलाप नगरों से प्रभावित होते हैं। सरकार सदैव इस बात का प्रयास करती है कि ग्रामीण रोजगार, व्यवसाय या उद्योगों में विकास एवं विस्तार हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की अपर्याप्तता का कारण परिवहन साधनों का अभाव भी है। परिवहन साधनों के अभाव में औद्योगिक विकास की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि ग्रामीण परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण करके इसे सुदृढ़ बनाया जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक समन्वयन को मजबूत किया जा सकता है।

परिवहन आर्थिक विकास का साधन

परिवहन का विकास करना अपने आप में आर्थिक साधन भी है अर्थात् सड़कों के निर्माण द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का निदान भी सम्भव है। सड़क निर्माण सर्वाधिक श्रम-प्रधान माना जाता है। कृषि की अपेक्षा सड़क निर्माण में दुगुने श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में श्रम की उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में होती है। अतः सड़कों के निर्माण द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तत्सम्बन्ध में भारत सरकार भी जागरूक रही है और 'काम के बदले अनाज' योजना कार्यान्वित की गई है, जिससे समाज के निर्बल व्यक्तियों का उत्थान हो रहा है तथा ग्रामों को नगरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

समस्याएं

अतः किसी भी क्षेत्र के ग्रामीण विकास नियोजन में परिवहन तन्त्र समायोजन प्राथमिक महत्व पाता है।

वास्तव में सभी पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन तन्त्र के विकास पर काफी बल दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण सड़कों को बहुत अधिक लाभ नहीं मिला है। अधिकांशतः ग्रामीण सड़कें अभी भी कच्ची या आधी पक्की और कच्ची हैं जिन पर वर्षान्त मोटर नहीं चलाई जा सकती तथा वे बैलगाड़ियों के लिए भी उपयुक्त नहीं होती। जहां कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ भी है वहां उनकी मरम्मत करना कठिन हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अपर्याप्त भी हैं जिसके कारण कृषि के नवीन सुविधाओं का प्रसारण नहीं हो सकता है। वर्षा काल में नदी-नाले यातायात अवरोधक बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी—नालों पर पुलों तथा नौका परिवहन के अभाव के कारण अधिक दूरी तय कर गन्तव्य स्थल पर पहुंचा नहीं जा सकता है। ग्रामीण अंचलों में परिवहन के निम्न कोटि के साधनों (बैलगाड़ी, बोझा ढोने वाले पशु, इक्का तथा स्वयं मानव) का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन कच्ची सड़कों पर वर्षा काल में इन साधनों का प्रयोजन सुरक्षित नहीं रहता।

सरकार की वर्तमान शासन प्रणाली ग्रामीण परिवहन तन्त्र के विकास पर अधिक बल दे रही है। योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति

में वृद्धि करने के लिए रेलवे विस्तार की अपेक्षा सड़क परिवहन के विकास को अधिक प्रभावी माना है। वस्तुतः रेलवे परिवहन अपने आप में ग्रामीण अर्थ-तन्त्र के विकास में पर्याप्त नहीं है। यह दूरस्थ एवं वृहद केन्द्रों में ऊर्ध्वाधर व्यापार को प्रधानता देता है तथा ग्रामीण सम्बद्धता में कम प्रभावी होता है। विकसित तकनीकी द्वारा विभिन्न प्रकार की बैलगाड़ियों एवम् परिवहन साधनों का विकास हो रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके।□

भूगोल विभाग
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ० प्र०)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में शीघ्र ही संशोधन

भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाहियां कई वर्षों से चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप भू-स्वामियों को परेशानी होती है, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है और सार्वजनिक कार्यों की लागत बढ़ जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित विषयों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि समकालीन समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में पूर्ण रूप से संशोधन किया जाना चाहिए और भू-स्वामियों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों के हितों को, जिन्हें उनकी भूमि का अधिग्रहण करके उन्हें उनकी आजीविका के एकमात्र साधन से वंचित कर दिया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्री हरिनाथ मिश्र ने बताया कि उनका मंत्रालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन के लिए इस विषय के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन कर रहा है। उनके मंत्रालय का उद्देश्य एक ऐसे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है जो आधुनिक युग की ओर बढ़ रहा है तथा विशेष रूप से भू-स्वामियों और सामान्यतया समुदाय के हितों को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अधिनियम ब्रिटिश शासकों के हितों की पूर्ति के उद्देश्यों से बनाया गया था। इस कानून में संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया है ताकि परिवर्तनशील समाज और भू-स्वामियों के हितों में पर्याप्त संतुलन कायम किया जा सके।

सन् 1894 के अधिनियम में संशोधन हेतु एक विधेयक अप्रैल, 1982 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अधिकतम अवधि सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव था। भू-स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करने के संबंध में एक अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की सदस्यों की मांग की चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाने वाली तिथि को भूमि के बाजार भाव के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करने का आधार उस समय एक उचित आधार होना चाहिए जबकि भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाहियों को पूरा करने की अवधि कम की जा रही है। इस तिथि के पश्चात् यदि मुआवजा निर्धारित करने की अन्य किसी तिथि का निर्णय किया जाता है तो भूमि का बाजार भाव निहित स्वार्थ वाले लोगों के हितों के अनुकूल तय किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक में उन भू-स्वामियों को ऊंची दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान किया गया है जिन्हें न्यायालय के जिलाधीश द्वारा तय मुआवजे से अधिक मुआवजा दिया है। विधेयक में प्रभावित व्यक्तियों के लिए ब्याज की उचित दर की व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री महोदय ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि भू-स्वामियों, विशेषतः छोटे व सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। राज्य सरकारें यही सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि जहां भूमि अधिग्रहण अपरिहार्य न हो, छोटे व सीमान्त किसानों को उनके जीवनयापन के एकमात्र साधन से वंचित न किया जाए। कई राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अधिग्रहण प्राधिकारियों को निदेश भी जारी किए हैं। जहां भी संभव हो, वैकल्पिक भूमि देने के भी प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब आर्थिक परियोजनाओं, कारखानों, कार्यशालाओं आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तब यह प्रयास होता है कि उन लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों की जांच की जाएगी तथा भू-स्वामियों व समुदाय की आवश्यकताओं में संतुलन बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन हेतु उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

समन्वित ग्रामीण विकास

एवं

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

—लक्ष्य से अधिक

कार्य

पिछले वित्त वर्ष में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम पर लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ। यह उपलब्धि लक्ष्य से 8.5 प्रतिशत, अधिक है। 30.06 लाख के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 32.43 लाख ग्रामीण इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। यह उपलब्धि इन आंकड़ों से अधिक है क्योंकि अभी राज्य से पूर्ण आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्तकर्ताओं का प्रतिशत 41.5 था जबकि निर्धारित लक्ष्य 30 प्रतिशत का रखा गया था। वर्ष 1982–83 में 19 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से 1.40 लाख से भी अधिक महिलाओं ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया।

इसके लिए 180.50 करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किए गए जिसमें 97 प्रतिशत से भी अधिक राशि का उपयोग किया गया। प्रति व्यक्ति अनुदान में भी पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि हुई। फरवरी, 1983 तक यह राशि 1040 रुपये तक पहुंच गई थी जबकि 1981–83 में पूरे वर्ष में यह राशि 928 रुपये ही थी। ग्रामीण लोगों को दिया जाने वाला ऋण भी वर्ष 1981–82 में 1713 रुपये से बढ़कर वर्ष 1982–83 के प्रथम 11 महीनों में ही 2124 रुपये हो गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति भी कम उत्साहजनक नहीं रही है। यद्यपि वर्ष 1982–83 में इस कार्यक्रम के लिए 378.08 करोड़ रुपये ही निर्धारित किए गए थे परन्तु राज्यों को वास्तव में 399.23 करोड़ रुपये दिए गए। यदि इस उद्देश्य के लिए राज्यों को अनाज के रूप में दी जाने वाली सहायता का मूल्य भी इस राशि में जोड़ लिया जाता है तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली कुल धनराशि 541.62 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। राज्यों ने भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 189 करोड़ रुपये खर्च किए।

पांच राज्यों; कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा नागालैंड ने इस क्षेत्र में अधिक उत्साह दिखाया तथा उन्हें 10.58 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में अलग से दिए। इसके विपरीत असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश तथा केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके इसलिए उन्हें उनके लिए पूरी निर्धारित राशि प्रदान नहीं की गई ।

योजना आयोग से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा दमन तथा दीव एवं मिजोरम ने अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से बेहतर कार्य किया ।

अब तक एकत्र की गई जानकारी के अनुसार 33 करोड़ 80 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए जो कि निर्धारित लक्ष्य का 96 प्रतिशत के बराबर है । इसमें से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिशत 29.64 था । इसमें हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर,,मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,, मणिपुर मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं क्योंकि इन राज्यों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्टें नहीं भेजीं ।

पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम में तमिलनाडु सबसे आगे था केन्द्र शासित प्रदेशों में अंडमान तथा निकोबार ने लक्ष्य को पार किया ।

जहां तक वास्तविक उपलब्धियों का प्रश्न है देश के विभिन्न भागों में पैदा किए श्रम दिवसों से 31,937 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत लाई गई, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के लिए 18,000 मकान तथा पीने के पानी के कुएं बनाए गए ; 5,335 ग्राम-तालाब बनाए गए तथा 52,813 हेक्टेयर भूमि छोटी सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई । 22,362 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनाई गई तथा भू-जल संरक्षण के अन्तर्गत लाई गई । लगभग 53,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा मौजूदा सड़कों में सुधार किया गया । ग्राम विद्यालयों, बालवाड़ी भवनों तथा अन्य निर्माणों की संख्या लगभग 41,000 थी । इस प्रकार यह कार्यक्रम काफी हद तक सफल सिद्ध हुआ है । □

"बापू ! तुम्हें नमन शत बार"

सत्य-अहिंसा-प्रेम प्रचारक,
मानवता के हे उद्धारक !
त्याग-तपस्या की प्रतिमा हे
जर्जर भारत के उन्नायक !

तुमने भरा धरा के डर में –
नव चेतन की शक्ति अपार
बापू! तुम्हें नमन शत बार ।।

देश स्वतंत्र कराया तुमने,
उन्नति पथ दिखलाया तुमने,
ऋषि–मुनियों के निर्देशित पथ
पर, यह राष्ट्र चलाया तुमने,

दिव्य तुम्हारे अपराजित बल
से था चकित हुआ संसार ।
बापू ! तुम्हें नमन शत बार ।।

ज्योति पुंज तुम ! दिव्य ललाम,
देव पुरुष ! निश्छल, निष्काम,
राष्ट्रभक्ति की रही प्रवाहित
धारा अन्तस में उद्दाम,

हुए प्रकम्पित देख तुम्हारी
शक्ति, धरणि के अत्याचार ।
बापू ! तुम्हें नमन शत बार ।।

आदिवासी उप-योजना एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो आदिवासी जनता के विकास पर विशेष जोर देता है। यह उप-योजना 19 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के कुल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत भाग पर लागू है जिसमें 2 करोड़ 66 लाख 93 हजार अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो अनुसूचित जनजाति की संख्या का 74 प्रतिशत है। जो
था केन्द्र शासित प्रदेश इस उप-योजना के अंतर्गत नहीं आते
देश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, लक्षद्वीप तथा
इनके इस उप-योजना में शामिल न होने का
अधिकांशतः आदिवासी है तथा इनकी
काफी हैं।

भाग हैं---(क) पांचवीं
उप-योजना जिसमें
जनसंख्या में

इसमें अनुसूचित क्षेत्र तथा भूतपूर्व आदिवासी विकास खण्ड भी सम्मिलित हैं। आदिवासियों का प्रतिशत 50 अथवा उससे अधिक है। (ख) छठी योजना के दौरान बनाए गए आदिवासी जनसंख्या बहुल क्षेत्र जिनकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक है और जिनमें आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 50 अथवा अधिक है तथा (ग) आदिम जनजाति समुदाय।

आदिवासी इलाकों में आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के पहल उद्देश्य को कायम रखते हुए अब उन कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है जिनका उद्देश्य आदिवासी परिवारों विशेष की आर्थिक-सामाजिक उन्नति करना है। छठी योजना के दौरान गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले 50 प्रतिशत आदिवासी परिवारों को इससे ऊपर उठाया जाएगा। योजना आयोग ने ऐसे परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत माना है जिनकी आय 1979–80 की कीमतों के

आधार पर प्रतिव्यक्ति 75 रु० मासिक से अधिक न हो।

वर्ष 1971 में हुई जनगणना के अनुसार देश में 3.8 करोड़ लोग अनुसूचित जनजाति के हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत हैं। ये लोग मुख्य रूप से उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात तथा राजस्थान आदि राज्यों में रहते हैं। ये लगभग 250 विभिन्न प्रकार के समुदायों तथा वर्गों में बटे हुए हैं जिनकी करीब 105 भाषाएं हैं। जनसंख्या बिखरी हुई है तथा आधुनिक सभ्यता से कोसों दूर हैं। गैर आदिवासी पिछड़ी जातियों के क्षेत्रों के मुकाबले आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाना अत्यधिक जटिल है।

आदिवासी उप-योजना

आदिवासी उप-योजना का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इस उप-योजना को काफी बड़ी आदिवासी जनसंख्या पर लागू किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में 74.83 प्रतिशत, उड़ीसा में 68.41 प्रतिशत, बिहार में 76.75 प्रतिशत, राजस्थान में 43.67 प्रतिशत, गुजरात में 72.42 प्रतिशत, मणिपुर में 93.71 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 59.15 प्रतिशत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 99.54 प्रतिशत तथा गोवा, दमन तथा दीव में 100 प्रतिशत। जिन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या कम है वहां नियमों में ढील दी गई। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा असम में आदिवासी उप-योजना के लिए 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र उपयुक्त माने गए। तमिलनाडु तथा केरल में नियमों में और ढील दी गई तथा किसी क्षेत्र के लिए योग्यता सीमा 10,000 आदिवासी जनसंख्या कर दी गई। त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले ग्राम समूह इस उप-योजना में शामिल किए गए। कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में जहां आदिवासी जनसंख्या काफी कम तथा बिखरी हुई है, परिवार को आधार माना गया।

आदिवासियों के विकास के दो आधार हैं—पहला वैधानिक-प्रशासनीय सहायता द्वारा उनके हितों का संरक्षण करना तथा दूसरा उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए विकास प्रयत्नों को बढ़ावा देना। पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई आदिवासी उप-योजना का आठवां वर्ष चल रहा है तथा अभी तक यह आदिवासी विकास की मुख्य माध्यम बनी हुई है।

उप-योजना का विस्तार

छठी योजनाकाल में आदिवासी उपयोजना के प्रति अपनाई गई परिवर्तित क्षेत्र विकास नीति के अंतर्गत वर्ष 1982–83 में आदिवासी बहुल वाले 21 और क्षेत्र शामिल किए गए जिनकी आदिवासी जनसंख्या 1.46 लाख थी। इससे इस उपयोजना में शामिल उप-क्षेत्रों (पाकेट) की संख्या बढ़ कर 235 तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 32.35 लाख हो गई।

वर्ष 1982–83 के दौरान 17 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले 11,43,708 आदिवासी परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा पार करने में सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर, 1982 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 8,14,890 आदिवासी परिवार ऐसी सहायता प्राप्त कर चुके थे।

आदिवासी उप-योजना को लागू करने के लिए निम्न स्रोतों से संसाधन प्राप्त होते हैं :—

(क) राज्य योजना से प्राप्त धनराशि

(ख) गृह मंत्रालय की 'विशेष केन्द्रीय सहायता'

(ग) केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों से प्राप्त धनराशि तथा

(घ) संस्थागत सहायता।

छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 470 करोड़ रु० का प्रावधान है। वर्ष 1982–83 के लिए 95 करोड़ रु० का व्यय रखा गया है।

आदिम जनजातियां

अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए आदिवासी लोगों की अवस्था में सुधार लाने के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्ष 1981-82 के अंत तक निम्नलिखित बातों के आधार पर 52 जनजाति समुदायों की पहचान की गई :—(क) खेती-पूर्व तकनीक का स्तर (ख) साक्षरता की निम्न स्तर (ग) निष्क्रिय अथवा घट रही जनसंख्या। वर्ष 1982–83 के दौरान 19 और ऐसे ही समुदायों की पहचान की गई।

पहचान किए गए आदिम जनजाति समुदायों के लिए परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्यों को विस्तृत निदेश जारी कर दिए गए हैं। ये कार्यक्रम इन समुदायों के विशिष्ट जीवन-स्तर की आवश्यकताओं से सीधे संबंधित होंगे।

"जब आप वनों की सुरक्षा करते हैं तो न केवल आप वृक्षों को बचाते हैं वरन् राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं।"

इन्दिरा गान्धी

कृषि के लिए बूंद बूंद पानी —एक नया प्रयोग

आज के कृषि-युग में कृषि-कार्य में यद्यपि नए-नए यंत्रों और उपकरणों ने किसानों को राहत दी है, तथापि, प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पहलुओं में भारत का औसत किसान आज भी परावलम्बी बना हुआ है—खास तौर पर खेती के लिए आवश्यक पानी को लेकर। कृषि कार्य के दिनों में किसान को बादलों पर आश्रित रहना होता है—क्योंकि देश में सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों के अलावा किसानों को वर्षा-ऋतु के बाद नगरों के पानी का ही आसरा होता है।

ऐसी स्थिति में किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे जल संचय की ओर परावृत्त हों और वर्षा ऋतु के बाद जो भी फसल लेनी हो, उसके लिए संचित पानी का लाभ उठाएं। विश्व के मेहनत-कश देश इजराइल के किसान बादलों के भरोसे नहीं रहते इसलिए उन्होंने जल-संचय कर बूंद-बूंद पानी—(ड्रिप इरीगेशन) का उपयोग कर फसलें लेने का उपक्रम जारी रखा है। वैसे इजराइल का पानी और जमीन दोनों में खारापन है इसलिए बादलों का मं. पानी ही फसलों के लिए लाभप्रद होता है। अंततः इजराइल के किसानों ने ड्रिप इरीगेशन का सहारा लिया है। वहां की 80 प्रतिशत जमीन इसी उपाय से सिंचित होती है।

बहरहाल, इसका महत्व भारत में भी अब धीरे-धीरे समझा जा रहा है तथा केन्द्रीय कृषि इंजिनियरिंग संस्थान, भोपाल द्वारा इसका सार्थक प्रयोग शुरू होकर एक अंजाम तक पहुंच गया है। इस सन्दर्भ में यह एक जानने योग्य तथ्य है कि मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष वर्षा का परिमाण 750 से 1400 मि० मी० है। इसमें से 30 से 50 प्र० श० पानी निरर्थक बह जाता है। यह पानी अच्छी मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है और जरूरत के समय वर्षा नहीं होती। खास तौर पर हमारे यहां रबी के समय पानी नहीं रहता। ऐसी दशा में अगर वर्षा के पानी को संचित कर लिया जाए तो रबी के दिनों में यह वरदानी पानी सिद्ध हो सकता है। यही पानी रबी के लिए जीवनोपयोगी कहा जा सकता है।

पांच हैक्टेयर वाले एक खेत के एक कोने में एक डबरा (पौन्ड) बनाकर पानी संचित किया जा सकता है। इस बचत के पानी से कम से कम एक हैक्टेयर में बोई गई फसल की सिंचाई हो सकती है। पांच हैक्टेयर जमीन में आध हैक्टेयर का पोखर बनाना पर्याप्त होता है।

राम अधीर

ड्रिप इरीगेशन (बूंद-बूंद पानी से सिंचाई) के लिए 10 से 20 हजार रु० का अनुमानित व्यय आता है तथा इस से 50 से 80 प्रतिशत पानी की बचत हो जाती है। इस प्रणाली से खाद भी दी जा सकती है तथा खाद की बचत भी हो सकती है। ड्रिप-इरीगेशन, विशेष तौर पर बागवानी फसल के लिए ज्यादा मुफीद होती है तथा इसके फलस्वरूप बरसों पौधे लगे रह सकते हैं। किन्तु जो फसलें हर साल बोई जाती हैं, उनके लिए यह लाभप्रद नहीं होती। क्योंकि सिंचाई के

लिए जो पाईप एक बार लगा दिया जाता है–वह बार-बार उठाया नहीं जा सकता।

ड्रिप-इरीगेशन के लिए तीन उपकरण मुख्य हैं–तीन अश्व शक्ति का पम्पसेट, ग्रेव्हिल-फिल्टर और स्किम-फिल्टर। इसमें पानी छानने के बाद मुख्य पाईप लाईन में जाता है और बाद में सब मेन पाईप में। पौधे की हर कतार के लिए एक लेटरल लाईन होती है, जो पौधों के पास बूंद-बूंद पानी गिराती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पौधों को पानी उनकी आवश्यकतानुसार मिलेगा और पानी की बचत भी होगी।

जिन पौधों के पास बूंद-बूंद पानी टपकता रहेगा उस स्थान पर घास फूंस के उगने की भी संभावना कम रहती है। किसानों को दिखाने के लिए केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल ने नबीबाग-प्रक्षेत्र में वैज्ञानिक श्री डी० ए० भाण्डारकर की देखरेख में एक परिवार जमीन में और एक पक्का टैंक भी बनाया है। इस संस्थान ने ज्योति कम्पनी, बड़ोदरा को डिजाइन बनाकर दिया था, इसके अनुसार कम्पनी ने फिल्टर बनाकर दिया है, जोकि टैंक पर लगाया गया है। उसमें एक मोटे पाईप में पतला पाईप-लगाया गया है। इस पतले पाईप में, पानी छोड़ने के लिए छोटे-छोटे छिद्र बने हैं। वर्तमान में तो यह प्रणाली काफी महंगी है–किन्तु अभी इसे सस्ता उपलब्ध कराने के लिए शोध हो रहा है।

पौधों को खाद देने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। 5 एकड़ वाले खत के लिए खाद वाले टैंक में 20 किलोग्राम खाद डाल दी जाती है। इससे फिल्टर वाले टैंक का पानी खाद वाले टैंक में आएगा—तथा वहां से पौधों तक जाएगा। पानी कितना देना है इसकी जांच के लिए मीटर भी लगे है। उसी प्रकार खाद का पानी छोड़ने और रोकने के लिए भी उपकरण लगे हैं।

ड्रिप इरीगेशन की यह प्रणाली सब्जी और बगीचों के लिए बहुत उपयोगी है। क्रैश-क्राप के लिए भी यह जीवनदायी है। इस प्रणाली से पानी केवल पौधों को ही मिलता है। इसलिए खरपतवार नहीं पनपती। पानी केवल जड़ों के पास गिरने से, कम पानी का ज्यादा उपयोग होता है। वोल्टास कं० बम्बई और ज्योति लि० बड़ौदा ने जो ड्रिपर बनाया है– वह प्रति घंटा 2 लिटर से 10 लिटर तक पानी फेंकता है। □

108/1, शिवाजी नगर,
भोपाल (म० प्र०)

पानी और दरारें

ट्यूब-वैल
चलता रहा
बहता रहा पानी नालियों में
ना··
लियों··
में····
पानी ब··ह··ता··रहा
खेत में जाने वाला पानी
नालियों से ही
खेत में पहुंचता है,
पानी ·····खेत में
नहीं पहुंचा
नहीं पहुंचता है,
ट्यूब-वैल से
नहर/राजवाहों से पानी
नालियों में बहता रहता है।

पूस की कड़क ठण्ड
सिकुड़ी गुदड़िया में
ढांपे बदन
हलवाहे सोते रहे/कि
पानी पहुंच रहा है।

उन्होंने देखा था
नालियों को लबालब पानी से,
बना दिया था मुहाना,
खेत में·····और फिर——
(कड़क ठण्ड)
सीली आग में/ ओस——
जमती रही,
अंधेरे में आदमी की
घिग्घी बन्धती रही——

दरअसल! हुआ यह :——
अलसुबह तक भी
खेत नहीं भरा
नालियां भरी जाती रहीं
और खेत····
खेत और नालियों के बीच
पैदा हुई दरारें ——
नाली के साथ साथ चलती हुई
दरारें ——
भर चुकी थीं।
हलवाहा——————कहीं दूर निकल
सूरज की रोशनी में
देख सकता था ——
खेत भी/पानी भी और
दरारें भी !
जो खेत का सारा पानी पी गईं थीं।
भर गई थीं गीली मिट्टी से।
शायद कहीं
खेत के बाहर की घास
खेत के भीतर की प्यास से
ज्यादा मजबूत थी !

——अश्विनी पाराशर
25, बंग्ला रोड, दिल्ली–7

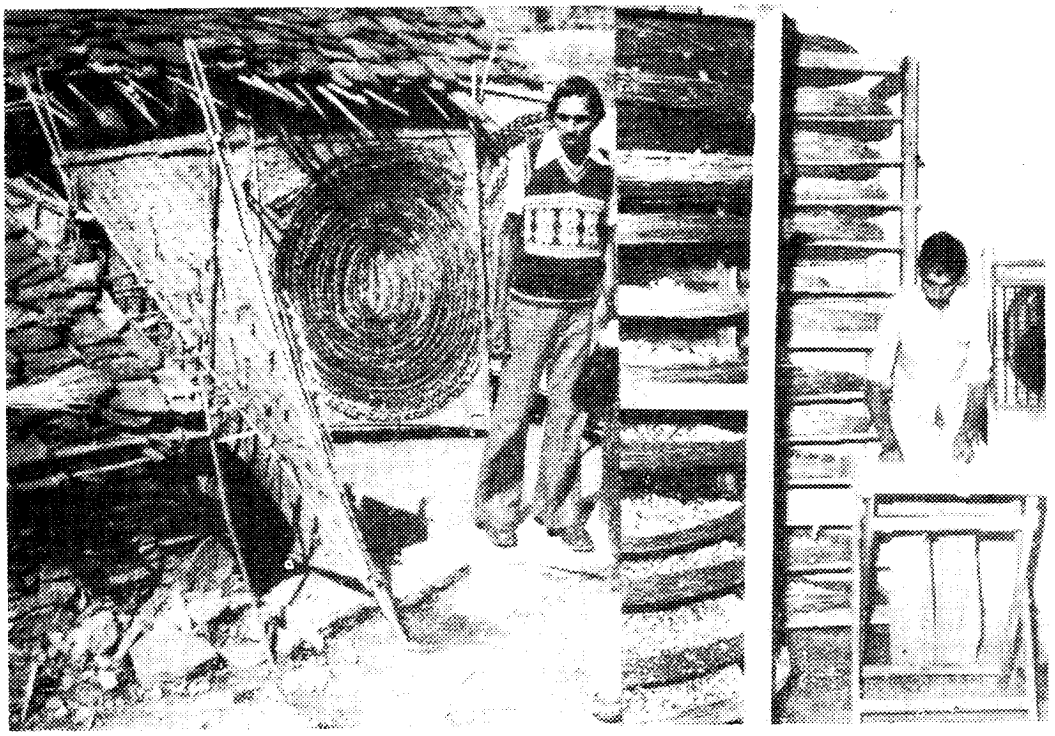

रेशम उत्पादन और राजस्थान

डा० देवदत्त शर्मा

राजस्थान और रेशम, लगता है निरी कल्पना ही की जा रही है। किन्तु राजस्थान विद्यापीठ ने रेशम का उत्पादन कर उदयपुर जिले की गौरवशाली परम्परा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। उदयपुर जिला विभिन्न प्रकार के खनिज उत्पादन की दृष्टि से तो अग्रणी है ही अब राजस्थान में प्रथम बार रेशम का उत्पादन कर रेशम उत्पादन क्षेत्र में भी अगुआ बन गया है।

रेशम उत्पादन का कार्य न केवल एक रोजगार मूलक कार्य है अपितु एक लाभदायी व्यवसाय भी है। इससे एक ओर जहां प्रति हैक्टेयर 20 हजार रूपये की आय संभव है वहां दूसरी ओर घर के स्त्री-बच्चों तक को रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं रेशम उत्पादन का कार्य इस क्षेत्र में प्रचालित अन्य सभी नकदी-फसलों की अपेक्षा भी अधिक लाभप्रद है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान विद्यापीठ ने आक्सफाम अमेरिका एवं राजस्थान सरकार के विशिष्ट योजना संगठन के सहयोग से अगस्त 1981 में सेरीकल्चरल प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया। इसके अन्तर्गत सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सहयोग से बंगलौर से शहतूत की कलमें मंगवाई गई और उदयपुर के मावली और गिर्वा के 18 काश्तकारों को अपने-अपने खेतों में शहतूत की खेती प्रारम्भ करने के लिए वितरित की गई। इतना ही नहीं राजस्थान विद्यापीठ ने करीब 35 किसानों को मैसूर भेजकर सेरीकल्चर की विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करवाया तथा 115 काश्तकारों के खेतों एवं घरों में शहतूत की खेती व रेशम-कीट पालन के लिए प्रदर्शन क्षेत्रों की स्थापना की है। इन परिवारों में करीब 80 काश्तकार आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के हैं।

शहतूत की खेती

रेशम उत्पादन के कार्य में शहतूत की खेती करना मूलभूत आवश्यकता है। यों तो शहतूत की खेती सभी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है किन्तु दोमट से चिकनी दोमट भूमि इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। हल्की अम्ली भूमि में भी शहतूत की खेती की जा सकती है।

चूंकि शहतूत की जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं अतः वर्षा ऋतु से पहले मई-जून

में जमीन की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके पश्चात असिंचित भूमि में गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद 10 टन प्रति हैक्टेयर तथा सिंचित भूमि में 20 टन प्रति हैक्टेयर मिला देनी चाहिए। दो-तीन जुताई के बाद खेत में दो-दो फुट की दूरी पर 6 इंच ऊंची मेड़ें बना देनी चाहिएं और इन मेड़ों पर दो-दो फुट की दूरी पर चार-पांच जीवित आंख वाली कलम लगा दी जानी चाहिए जो जमीन में 5"–6" गहरी हो। कलम लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी कम से कम एक आंख जमीन से ऊपर रहे। इसके बाद कलम के चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देनी चाहिए। रेतीली दोमट भूमि में सात दिन और चिकनी दोमट भूमि में दस-बारह दिन के अन्तराल से सिंचाई कर दी जानी चाहिए।

शहतूत के पत्तों का अधिक उत्पादन उसकी उन्नत किस्म पर निर्भर करता है। अतः राजस्थान विद्यापीठ केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से शहतूत की उन्नत किस्म जो एम-5 के नाम से जानी जाती है, की कलमें कर्नाटक से मंगवाकर किसानों को वितरित कर रही है। स्थानीय मांग को पूरा करने एवं उन्नत किस्म की शोध के लिए राजस्थान विद्यापीठ अपने उबोक स्थित जनता कालेज और उदयपुर स्कूल आफ सोशल वर्क्स के फार्म पर पांच एकड़ भूमि में शहतूत की नर्सरी भी तैयार कर रही है जहां से किसानों को उन्नत किस्म के शहतूत की कलमें वितरित की जा सकेंगी।

रेशम के कीड़े : पलते हैं कैसे ?

रेशम उत्पादन की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया कीड़े पालने की है। वर्षा ऋतु में लगाई गई शहतूत की कलमों से फरवरी-मार्च तक रेशम-कीट को खिलाने के लिए पत्तियों का उत्पादन शुरू हो जाता है। तब रेशम बीज केंद्र से निरोग अण्डे लाकर रेशम-कीट पालन प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।

बीज केन्द्र से अण्डे लाने के बाद उन्हें हवायुक्त स्थान में रखना चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हवा में आर्द्रता 70–75 के बीच रखनी चाहिए। इन अण्डों से 10 से 11 दिन में काली रोयेदार चींटी-सी लटें बाहर निकल आती हैं। लटों के अण्डे से बाहर निकलने वाले दिन अण्डों को प्रातः पांच-छह बजे पांच-छह फीट की दूरी पर ट्यूब लाइट की रोशनी में रखना चाहिए। इससे सारी लटें एक साथ अण्डों से बाहर निकल आती हैं।

अण्डों से बाहर निकली इन लटों को दिन में चार बार शहतूत की मुलायम पत्तियां बारीक-बारीक काट कर दी जाती हैं। तीन दिन तक इसी प्रकार शहतूत की पत्तियां खाकर ये लटें 24 घंटे के के लिए खाना बन्द कर देती हैं और अपनी पुरानी खोल उतार देती हैं। इस अवस्था के बाद लटों को पुनः पूर्व की भांति मुलायम पत्तियां खाने को दी जाती हैं। ढाई-तीन दिन के बाद लटें फिर करीब 20 घंटे का उपवास रखती हैं और अपना खोल उतारती हैं। इस स्थिति के बाद लटों को करीब चार दिन तक फिर शहतूत की पत्तियां काट-काट कर खिलाई जाती हैं। इसके बाद लटें 24 घंटे तक खाना नहीं खाती और पुनः अपना पुराना खोल उतार देती है। लटों की इन तीनों ही अवस्थाओं में तापमान 26–27 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता 82–85 प्रतिशत होनी चाहिए।

लटों की चौथी अवस्था चार-साढ़े चार दिन की होती है। इस अवस्था में लटों को शहतूत की कुछ बिना कटी पत्तियां भी खाने को दी जाती हैं। इस अवस्था की समाप्ति के बाद लटें फिर 30 घंटे तक पत्तियां खाना बन्द कर देती हैं और अपना पुराना खोल उतार देती हैं। इस अवस्था के बाद लटों की अंतिम और पांचवीं अवस्था प्रारम्भ होती है। यह अवस्था 6–7 दिन की होती है और इसमें लटों को शहतूत की साबुत पत्तियां खाने को दी जाती हैं। इस अवस्था में लट करीब ढाई से तीन इंच बड़ी हो जाती हैं।

लटों की चौथी और पांचवीं अवस्था में तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं हवा में आर्द्रता 75 से 80 प्रतिशत तक होनी चाहिए। इसी प्रकार लटों के पुराना खोल उतारने की प्रत्येक स्थिति में तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा चाहिए। तापमान को घटाने एवं बढ़ाने एवं आर्द्रता को बनाए रखने के लिए फोम पैडों के अतिरिक्त हीटर एवं कूलर का प्रयोग भी किया जा सकता है।

पांचवीं अवस्था की समाप्ति के बाद लटें पत्तियां खाना बंद कर देती हैं। इस समय उनके शरीर पर कुछ पीलापन आ जाता है। ऐसी लटों को बांस की एक विशेष प्रकार की टोकरी जिसे चन्द्रिका कहते हैं, में रख दिया जाता है। इस अवस्था में लटों को छेड़ना नहीं चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता 70–75 प्रतिशत रखनी चाहिए। इस अवस्था में लटें रेशा छोड़ना प्रारम्भ कर देती हैं। यह रेशा चन्द्रिका से चिपक जाता है और फिर कोया का रूप ग्रहण कर लेता है। चन्द्रिका में लटों को रखने के 5 दिन बाद रेशम का कोया तैयार हो जाता है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस एक कोये से चार सौ से छह सौ मीटर तक रेशम सूत निकलता है और उन्नत किस्म के कोये से तो इससे भी अधिक सूत निकलता है।

चूंकि शहतूत की खेती एवं रेशम कीट पालन वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित है अतः इसके लिए प्रत्येक रेशम उत्पादक परिवार के एक सदस्य को कीट-पालन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता रहती है। क्षेत्र की इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्थान विद्यापीठ ने प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की एक टीम जुटा कर जनता कालेज एवं सामदायिक केन्द्रों में स्थानीय तौर पर रेशम कीट पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अन्तर्गत अब तक 115 परिवारों को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

रेशम-सूत का उत्पादन

रेशम उत्पादन प्रक्रिया की तीसरी और अंतिम कड़ी है रेशम-कोया से रेशम-धागा तैयार करना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अण्डों से लटें बाहर निकलने एवं

उनसे कोया तैयार होने में 32 से 35 दिन लग जाते हैं और शहतूत के पौधों पर दो-ढाई महीने में रेशम कीट को खिलाने के लिए और नई पत्तियां आ जाती हैं । इस प्रकार वर्ष भर में रेशम कोये की चार-पांच फसलें ली जा सकती हैं । किन्तु यदि रेशम कोया 5 दिन के अन्दर-अन्दर न बेचा गया तो वह खराब हो जाता है । अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि रेशम कोया उत्पादकों को उनकी उपज का तुरन्त एवं सुनिश्चित मूल्य दिलाने के लिए क्षेत्र में सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट भी हो ।

इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान विद्यापीठ ने उबोक स्थित जनता कालेज में राज्य सरकार के सहयोग से एक सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट भी चालू की है । यहां न केवल रेशम-सूत तैयार किया जा रहा है अपितु कार्यकर्ताओं को रीलिंग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है । प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में पांच महिलाएं भी हैं ।

रेशम-सूत उत्पादन : एक उपलब्धि

राजस्थान में अब तक रेशम सूत की मांग को कर्नाटक से रेशम सूत मंगवा कर पूरा किया जाता रहा है; किन्तु राजस्थान विद्यापीठ की जनता कालेज सिल्क यार्न ने न केवल राजस्थान में पहली बार सिल्क यार्न रील किया है अपितु उसे कोटा के बुनकरों को भारत भर में प्रसिद्ध कोटा डोरिया की साड़ियां बनने के लिए भी दिया है । अब तक इस यूनिट द्वारा करीब 14 हजार रुपये मूल्य का 35 किलोग्राम रेशम-सूत और कुछ मात्रा में रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जा चुके हैं । इसी प्रकार राजस्थान विद्यापीठ के प्रयासों से अब तक रेशम कोये की चार फसलें ली जा चुकी हैं जिनसे करीब 25 हजार रुपये मूल्य के 650 किलोग्राम रेशम कोयों का उत्पादन किया जा चुका है ।

इतना ही नहीं राजस्थान विद्यापीठ तीन वर्ष में राजस्थान की रेशम-सूत की मांग को राजस्थान में ही रेशम का उत्पादन कर पूरी करने के लिए कृत संकल्प है ।

परजन हिताय

गोविन्द प्रसाद गुप्त

बूढ़ा गेहूं
कमर झुकाए
खेत के बीच
खड़ा खखारता
मालिक की हंसिया
देख सिसियाता
मां की गोद के
बिलगाव का गम
उसे सालता
आ जाता खलिहान
भर देता,
कुठला, ढेहरी, मकान
बिकता खड़ी बाजार में,
बनिये की दूकान
दाने-दाने से

भरता लगान
पिसता चुपचाप
रामदीन की चक्की पे
बनता पिसान
भूख का निदान
पूड़ी पकवान
खुद के लिए नहीं
पर कल्यान
क्योंकि
भूखा है,
खुद उसका बाप
बेचारा किसान

56, इन्टरनेशनल हाउस,
चैथम लाइन्स
इलाहाबाद

राजस्थान में रेशम का उज्ज्वल भविष्य

यद्यपि वर्तमान में राजस्थान में उदयपुर एवं कोटा जिलों में रेशम उत्पादन की दिशा में ठोस एवं सराहनीय प्रयत्न किए जा रहे हैं किन्तु उदयपुर जिले में उत्साहजनक उपलब्धियों को देखकर इस बात की प्रबल संभावनाएं हो गई हैं कि निकट भविष्य में न केवल राजस्थान में यथोचित मात्रा में रेशम उत्पादन कर स्थानीय मांग को पूरा किया जा सकेगा अपितु इसे राजस्थान से बाहर निर्यात भी किया जा सकेगा । इस दृष्टि से राजस्थान में रेशम उत्पादन का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है । □

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी
सूचना केन्द्र, मोहता पार्क
उदयपुर-313001
(राज०) ।

ईश्वरी को एक लाख रु० का इनाम

तमिलनाडु के सलेम जिले में तिरुवेंगोड तालुक के मनकुटइपलयम गांव के निवासी श्री सुब्रामणियम की पत्नी श्रीमती ईश्वरी को, राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक बंध्याकरण आपरेशन कराने वालों को दी जाने वाली लाटरी के टिकट से एक लाख रु० का पुरस्कार प्राप्त हुआ है । श्रीमती ईश्वरी का जो कि दो बच्चों की मां है, 17 जून, 1983 को तिरुवेंगोड के सरकारी अस्पताल में लेपरास्कोपिक आपरेशन किया गया ।

उसे 160 रु० का सरकारी मुआवजा देने के अलावा तमिलनाडु की सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाव पर राज्य की लाटरी के पांच टिकट भी दिए गए । इनमें से नं० एम० सी०-041623 के लाटरी टिकट पर उन्हें एक लाख रु० का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । उन्होंने नं० एम सी–041622 और एम सी–041624 के लिए भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए ।

सभी महिलाओं को 32 वर्षीया ईश्वरी के भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है, जिसने परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान की है । तमिलनाडु ऐसा प्रथम राज्य है जिसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाव पर लाटरी टिकट योजना को खुले रूप से कार्यान्वित किया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री बी० शंकरानन्द ने हाल ही में अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में तमिलनाडु सरकार का उदाहरण पेश किया था ।

सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन के दौरान परिवार नियोजन अपनाने वालों के लिए जो प्रोत्साहन देने की घोषणा की है वे इस प्रकार हैं :–

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वन में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले संगठित और मान्यता-प्राप्त दलों को सामुदायिक संपत्ति के रूप में वित्तीय पुरस्कार दिए जाएंगे ।

(2) इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे । इस उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा दम्पत्तियों को इस दिशा में सहायता देने के वर्तमान स्तरों के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा । प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार दिए जाएंगे––पहला पुरस्कार 2.5 करोड़ रु० और दूसरा एक करोड़ रु० । पुरस्कार की राशि का प्रयोग परिवार कल्याण कार्यक्रम के विकास और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा ।

(3) संगठित क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की एक और व्यापक योजना शुरू की जाएगी, इसमें औद्योगिक श्रमिकों को प्रोत्साहन देने की भी योजना शामिल है ।

(4) चुने हुए क्षेत्रों में अभियान के तौर पर इस कार्यक्रम का प्रचार किया जाएगा । इसके लिए सेवाओं और पूर्ति में उचित समन्वय स्थापित किया जाएगा ।

(5) परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए संगठनात्मक ढांचे और उनकी सेवाओं में सुधार लाने के लिए शहरी गंदी बस्तियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नर्स, दाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य पदों की स्थापना की जाएगी ।

(6) दो बच्चों के जन्म के पश्चात् और सन्तान की इच्छा न रखने वालों को 'ग्रीन कार्ड' जारी करने की एक योजना शुरू की जाएगी और उनका प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाएगा । योजना के अन्तर्गत इस कार्य द्वारा उन दम्पत्तियों को इलाज करने में प्राथमिकता मिलेगी । यह सुविधा वहीं उपलब्ध होगी जहां इस प्रकार की योजना व्यवहार्य है ।

(7) राज्यों को, बंध्याकरण आपरेशन कराने वालों को, अगले ड्रा के लिए राज्य की पांच लाटरी टिकट देने का अनुरोध किया जाएगा ।

(8) बंध्याकरण आपरेशन कराने वालों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में 30 रु० वृद्धि की जाएगी और यह राशि 70 रु० के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 100 रु० कर दी जाएगी ।

(9) आई० यू० डी० लगाने वालों को दी जाने वाली राशि 6 रु० से बढ़ाकर 9 रु० कर दी जाएगी। □

ग्रामीण बैंकों की भूमिका

आर० बी० सक्सेना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को 19 निजी व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकिंग इतिहास में एक क्रान्ति जागृत करके इन बैंकों का सम्पूर्ण प्रभुत्व अपने नियंत्रण में ले लिया । साथ ही इन बैंकों का ध्यान बड़े-बड़े पूंजीपतियों एवं उद्योगों से हटाकर ग्रामीण विकास की ओर कराया । व्यवसायिक बैंक प्रारम्भ में अपनी शाखाएं भारी व्यय के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के पक्ष में न थ अतः सरकार चिंतित थी कि ऐसी कौन सी संस्था स्थापित की जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा एवं वित्त पोषण सरलतापूर्वक उपलब्ध करा सके । इसी संदर्भ में 6 अगस्त, 1975 की बैठक (जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों ने भाग लिया) के निष्कर्षों तथा तत्कालीन बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री जी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 सितम्बर, 1975 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975" जारी किया गया जिसका स्थान 9 फरवरी, 1976 को संसद द्वारा पारित "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976" ने लिया ।

सहकारिता एवं व्यवसायिक बैंकों का मिश्रित ढांचा

चूंकि विद्यमान सहकारी बैंकों तथा व्यवसायिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत पीछे रहे । सहकारिता में ऋण ढांचा, प्रबंध, ऋणोपरान्त निरीक्षण, ऋण वसूली आदि बहुत कमजोर थी और यह संस्थान पर्याप्त मात्रा में स्त्रोतों के संग्रह करन में भी असफल रहे अतः इनको मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर ही निर्भर रहना पड़ता है । इधर व्यवसायिक बैंकों का मूल आधार नगरीय था अतः यदि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में जाते तो इन्हें ग्रामीण वातावरण के अनुसार अपने विधि व्यवहारों, प्रशिक्षण आदि को बदलना पड़ता इसके अतिरिक्त इन बैंकों के वेतन-भत्ते, साज-सज्जा, रख-रखाव आदि का व्यय बहुत अधिक था अतः ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले घाटे को कौन बर्दाश्त करता । इसलिए इन दोनों संस्थाओं (सहकारिता एवं व्यवसायिक बैंकों) के गुणों का संगम करके एक नई संस्था बनाई गयी जिसे "क्षेत्रीय बैंक" के नाम से पुकारा गया । ये संस्था ग्रामीण भावनाओं समस्याओं, व्यवहारों एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सहकारी बैंकों की तरह समझते हुए तथा व्यवसायिक बैंकों की तरह व्यापार कुशल एवं धन स्रोतों के परस्पर कार्यों को मिलाकर ही ग्रामीण बैंकों की रचना की गयी है ।

वित्त पोषण एवं बैंकिंग व्यापार

ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग जैसे–लघु/सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, कृषक मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों, भू–आबंटियों, लघु व्यवसायी, बेरोजगार नवयुवकों, लघु व्यापार, खुदरा व्यापार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों आदि को कृषि एवं अकृषि कार्यों के लिए न्यूनतम ब्याज पर छोटे–छोटे ऋण सुलभ कराना है ताकि एक तरफ ग्राम्य समाज महाजन प्रथा से मुक्ति पा सके दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके । इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा–5 बी में निहित समस्त बकिंग व्यापार करने का अधिकार प्रदत्त किया गया । ताकि ग्रामीण क्षत्र की जनता में बचत की आदत डाली जा सके ।

ग्रामीण बैंकों की रूप रेखा पूंजी एवं प्रशासन

प्रत्येक ग्रामीण बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1934 की दूसरी सूची में सम्मिलित कर "अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों" की श्रेणी में रहेगी । इन बैंकों में जमाकर्ताओं की जमाराशि डिपाजिट इन्श्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन द्वारा सुरक्षित रहेगी । ग्रामीण बैंक केवल अधिसूचित क्षेत्र तक ही अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकेंगे । ब्याज की दरें सहकारी बैंकों की ब्याज दरों के अनुरूप होंगी तथा इन बैंकों में नियुक्त स्टाफ को राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप भुगतान होगा । ग्रामीण बैंक विद्यमान संस्थाओं के अनुपूरक होंगे तथा प्रवर्तक बैंकों के संरक्षण में कार्य करेंगे ।

प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ होगी जो 100/– के एक लाख पूंजी चुकता अंशों में विभाजित होगी जो किसी भी दशा में 25 लाख से कम न होगी । अभिदत्त पूंजी में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 35 प्रतिशत प्रवर्तक बैंक का अंशदान निहित होगा ।

बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी जिसका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होगा ।

निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष तथा अधिकाधिक 8 निदेशक मनोनीत होंगे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा परन्तु वह पुनः नामित होने का अधिकारी रहेगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक में अन्तर

1. प्रारम्भिक अवस्था में प्रवर्तक बैंक अपने कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजेंगे बाद में अपनी भर्ती किए गए कर्मचारियों /अधिकारियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रवर्तक बैंक के माध्यम से कराया जाएगा ।
2. इन बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है ।
3. ग्रामीण बैंकों को एक सहकारी समिति के रूप में मानकर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आय, लाभ या प्राप्तियों से कर मुक्त रहेगा ।
4. यह बैंक अन्य संस्थाओं जैसे रिजर्व बैंक, प्रवर्तक बैंक, ए० आर० डी० सी० नवार्ड, आई० डी० बी० आई० आदि से पुनर्वित्त की मांग नियमानुसार कर सकेंगी तथा बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा–24 के अन्तर्गत तरल परिसम्पत्तियां रखेंगी जो कुल दायित्व का कम से कम 25 प्रतिशत होगा
5. इन बैंकों में स्थानीय भाषा एवं नियुक्तियों का प्रावधान में रखा गया है ।
6. बैंक द्वारा ऋण सुविधा केवल निर्बल वर्गों जिसमें लघु व सीमान्त कृषकों में खेतिहर मजदूरों, हस्तशिल्पियों तथा लघु व्यवसायियों व अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी समितियों तक ही सीमित रहेगी ।
7. जमाराशियों पर 3 वर्ष से कम की अवधि तक आधा प्रतिशत अधिक व्याज प्रदान किया जाएगा ।
8. भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय योजनाओं में पूर्ण योगदान दिया जाएगा ।
9. भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम 1939 धारा–42 (1) के अन्तर्गत कुल मांग और मियादी देयताओं का 3 प्रतिशत आरक्षित नकदी राशियां रिजर्व बैंक में रखनी होगी ।

ग्रामीण बैंकों की प्रगति

गांधी जयन्ती 2 अक्तूबर, 1975 को देश के विभिन्न प्रदेश (उ० प्र०, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) में 5 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए जिसमें "प्रथमा बैंक" मुरादाबाद, देश का सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक था । 30–6–82 तक देश के 19 प्रान्तों के 207 जिलों में 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्यालय स्थापित किए जा चुके हैं जिनकी 5393 शाखाओं में 63 लाख जमाखातों में 382 करोड़ जमाराशि तथा ग्रामीण क्षेत्र के 32 लाख ऋणखातों में 462 करोड़ का ऋण वितरण विद्यमान है । इन बैंकों की स्थापना से कृषि विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आशाजनक सुधार देखने को मिल रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 175 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विभिन्न प्रदेशों में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । □

तेंदु पत्तियों से रोजगार

बंजर भूमि के लिए अप्रैल का माह सबसे अधिक खराब हो सकता है । परन्तु महाराष्ट्र में चन्द्रापुर के कबीलों के लिए अप्रैल का माह खुशियों से सराबोर होता है ।

जब जंगल में हवा चलती है तो पत्तियां भूमि पर गिरती हैं । इनमें से तेंदु पत्तियां बीड़ी बनाने के काम आती हैं। अप्रैल, मई और जून के दौरान कबीले तेंदु पत्तियों को इक्टठा करने और उनकी बिक्री करने में व्यस्त रहते हैं ।

सन् 1982 की गर्मी के दौरान महाराष्ट्र के कबीलों और अन्य जातियों ने 280 लाख रुपये मूल्य की तेंदु पत्तियां एकत्रित कीं । इससे उनके लिए 60 लाख श्रम दिवस पैदा हुए । औसतन छः सदस्यों के एक परिवार ने जंगलों में तेंदु पत्तियां एकत्रित कर प्रतिदिन 30 रुपये कमाए ।

तेंदु पत्तियों को तोड़ने, उनको छांटने, पैकिंग और, वितरण करने, इत्यादि में कबाइली सिद्धस्त होते हैं । ग्रामीण गरीब और भूमिहीन किसान, जो जंगल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं , इन कार्यों में कबाइलियों का हाथ बंटाते हैं । जब जंगल बहुत कुछ देता है तो उन्हें आपस में किसी शत्रुता और ईर्ष्या से क्या सरोकार ?

कुछ वर्ष पहले तक ये कबीले ठेकेदारों और बिचौलियों की दया पर निर्भर होते थे । जब 20 सूत्री कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किया गया तो उनकी हालत बदल गई । तेंदु पत्तियों के व्यापार को नियमित रूप से चलाने के लिए कानून सख्ती से लागू किया गया और ठेकेदारों और बिचौलियों को दूर किया गया । पत्तियां एकत्रित करने वालों को उनके कार्य स्थल पर अब पेयजल और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । पत्तियों का संग्रह करने के लिए जंगल के भीतर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है । पत्तियों को बाजार में बेचने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं ।

सभी प्रकार के शोषण से मुक्त तेंदु की पत्तियां एकत्रित करने वाले आज बहुत खुश हैं । दिन के कठिन श्रम के बाद वे रात को विश्राम करते हैं तथा कबाइली ढोल बजाकर नाचते गाते हैं । संगीत की आवाज पहाड़ों में टकराकर हवा में गूंजती है और बताती है कि उनकी सुखद ऋतु आ गई है । □

फादर कामिल बुल्के

डा० विजयेन्द्र स्नातक

विगत दो शताब्दियों में भारत में कई प्रकार के विदेशी मिशनरी धर्म प्रचारक भारत में आए हैं। इन मिशनरियों में कुछ ऐसे प्रचारक रहे हैं जो अपने ईसाई धर्म को भारत की पिछड़ी जातियों में फैलाने में व्यस्त रहे और उन्होंने अपना जीवन भारत में ही व्यतीत कर दिया। दूसरे वर्ग के मिशनरी वे हैं जो भारत भूमि को हृदय से प्रेम करने के कारण यहां की संस्कृति, धर्म साहित्य और शिक्षा से जुड़ गये तथा आजीवन भारत की आत्मा को समझने और उसके साथ तादात्म्य करने में अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव करते रहे। इस वर्ग में पादरी भी हैं, प्राध्यापक हैं, चिकित्सक हैं और धर्म प्रचारक हैं। डा० फादर कामिल बुल्के उसी वर्ग के प्राध्यापक हैं जो केथोलिक जुसिएट चर्च के धर्म प्रचारक के रूप में भारत में आए और उन्होंने भारत भूमि के प्रति अपने अनन्य आकर्षण के कारण भारत को अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। इस समर्पण की प्रेरणा उन्हें क्यों और कहां से मिली यह जानने से पहले उनका संक्षिप्त जीवन वृत जानना आवश्यक है।

डा० फादर कामिल बुल्के बैल्जियम निवासी थे। बैल्जियम के वेस्ट लौंडर्री नामक शहर के रैम्सकेपैल नामक स्थान में उनका जन्म एक सितम्बर, 1909 को हुआ था। उनके पिता व्यापारी थे और अपनी सन्तान को वह व्यापार में ही लगाना चाहते थे। कामिल बुल्के उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जो इंजीनियरिंग कालेज में प्रविष्ट हुए थे और इंजीनियर नहीं बने। पढ़ाई तो पूरी कर ली, डिग्री हासिल कर ली किन्तु अपनी आभ्यन्तर प्रेरणा के कारण उनका मन इंजीनियर बनने की ओर नहीं गया। बुल्के की माता को यह आभास था कि उनका बड़ा बेटा धर्म प्रचारक होगा और साधु जीवन व्यतीत करेगा। अपने छात्र जीवन में कामिल बुल्के ने भारत के विषय में पुस्तकों में पढ़ा था और कैथोलिक पादरियों से भारत का वर्णन सुना था इसलिए उनके मन में भारत के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न हो गया था। भारत आने की लालसा पूरी करने के लिए उन्होंने धर्म प्रचारक बनना स्वीकार कर लिया और विवाह बन्धन में न फंसने का निर्णय लेकर सन् 1935 में रोमन कैथोलिक संघ के धर्म प्रचारक बनकर भारत आ गए। भारत प्राचीन देश है यह तो उन्हें पुस्तकों से विदित हो गया था किन्तु भारत अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों, अनेक जातियों, साम्प्रदायों एवं विविध रीति-रिवाजों का देश है यह उन्हें भारत आने पर ही मालूम हुआ। कामिल बुल्के बातचीत के सन्दर्भ में इस बात को अनेक बार कहा करते थे कि अनेकता में एकता की जैसी विशेषता भारत में है, विश्व के किसी अन्य देश में संभव नहीं है। बैलजियम की फ्लैमिश भाषा में पारंगत कामिल बुल्के अंग्रेजी सीखकर भारत आए थे किन्तु शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि भारत की जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने और भारत के जन-जीवन को समझने में अंग्रेजी का अवलम्ब सहायक नहीं हो सकता। दर्शनशास्त्र में एम० ए. की उपाधि गियोरियन विश्वविद्यालय से प्राप्त कामिल बुल्के ने कलकत्ता विश्व विद्यालय की बी० ए० परीक्षा में प्रवेश लिया। इस प्रवेश का तात्पर्य केवल भारत की भाषाओं से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना था। बी० ए० करने के बाद उनका ध्यान हिन्दी भाषा का गम्भीर ज्ञान प्राप्त करने की ओर गया और उन्होंने इलाहाबाद से हिन्दी विषय लेकर सन् 1946–47 में एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग में उस समय डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० माता प्रसाद गुप्ता, डा० रमा शंकर शुक्ल रसाल आदि विद्वान व्यक्ति अध्यापन कार्य करते थे। रामचरित्र मानस पढ़ते समय कामिल बुल्के का ध्यान उन जीवन मूल्यों की ओर आकृष्ट हुआ जो समस्त मानव जाति के लिए मंगलमय हो सकते हैं। फलतः गोस्वामी तुलसीदास को वे अपना गुरू स्वीकार करने लगे। कामिल बुल्के कहा करते थे कि जब में रामचरित्र मानस का पाठ करता हूं तो गोस्वामी तुलसीदास मेरे सामने खड़े होते हैं और जब मैं मानस का अनुशीलन करता हूं तो मेरे आराध्य प्रभु ईसा मसीह मुझे रामचन्द्र के रूप में मिल जाते हैं। श्री रामचन्द्र की रूप गुण शील समन्वित मूर्ति मेरे अन्तर में प्रभु ईसा को साक्षात मूर्तिमय कर देती है। उस समय रामचरित्र मानस मात्र पौराणिक कथानक न रहकर मुझे बाइबिल के समान उदार धर्मग्रंथ ही लगता है।

रामचरित्र मानस से प्रभावित होने के कारण उन्होंने अपने शोध का विषय "राम कथा उत्पत्ति और विकास" रखा। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस विषय की कठिनाइयों का फादर बुल्के को ज्ञान करा दिया था और भली भांति समझा दिया था कि इस विषय की छानबीन करने के लिए भारत से बाहर के अनेक देशों की यात्रा करनी होगी। हिन्दी के अतिरिक्त देश-विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जन करना होगा। संस्कृत के अनेक मूलग्रंथों का अनुशीलन अनिवार्य होगा। फादर बुल्के ने सब प्रकार की कठिनाइयों को भी भली-भांति समझ कर ही इस विषय को अपने अनुसन्धान के लिए चुना था। जब कार्य पूरा हो गया और ग्रंथ प्रकाशित हो गया, पाठकों के लिए

डा० फादर कामिल बुल्के का पुण्य स्मरण एक योरोपीय साधु का स्मरण है जो भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा के आकर्षण से विद्ध होकर सच्चा भारतीय हो गया। योरोपीय विद्वानों में हिन्दी भाषा को अपने समग्र कृतित्व का माध्यम बनाने वाले डा० बुल्के पहले विद्वान हैं।

सुलभ हुआ तो फादर कामिल बुल्के की लगन, साधना, परिश्रम, योग्यता और प्रतिभा का हिन्दी जगत में सिक्का जम गया। भारत से बाहर भी इस ग्रंथ का हार्दिक स्वागत हुआ और शीघ्र ही शोध का स्तरीय मानक ग्रंथ माना गया।

एक विदेशी विद्वान ने रामकथा को समझने के लिए भारत भूमि को समझना आवश्यक माना और इसीलिए उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता स्वीकार कर भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाना उचित समझा। योरोपीय विद्वानों ने हिन्दी भाषा को अपने समग्र कृतित्व का माध्यम बनाने वाले डा० बुल्के पहले विद्वान हैं। जिन विद्वानों ने हिन्दी की अच्छी सेवा की है उनमें से अधिकांश ने अंग्रेजी को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम रखा था। जान गिल क्राइस्ट, अब्राहम ग्रियर्सन, जान बीम्स, पिनकाट आदि अनेक हिन्दी प्रेमी विदेशी विद्वानों की तालिका हमारे सामने है। किन्तु इनमें एक भी विद्वान ऐसा नहीं है जिसने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम पूर्णरूप से हिन्दी को बनाया हो। डा० बुल्के बहुभाषाविद थे। फ्लैमिश, अंग्रेजी, आइरिश, फ्रेंच, जर्मनी आदि भाषाओं पर उनका अच्छा अधिकार था। किन्तु उन्होंने भारतीय बन जाने पर भारतीय भाषा में ही कामकाज करना अपना धर्म समझा था। अपने मित्रों के साथ बातचीत में वे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनका समस्त पत्राचार हिन्दी में होता था। मेरे पास उनके एक दर्जन पत्र सुरक्षित हैं किसी भी पत्र में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है।

डा० फादर कामिल बुल्के रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार तो साधु थे। जब वे बात करते थे तो यही कहते कि मैं भारतीय बाबा हूं। बेलजियम में मैं फादर था भारत में बाबा हूं। साथ के लिए भारतीय बाबा शब्द ही मेरे नाम के साथ जुड़ना चाहिए।

डा० कामिल बुल्के की साहित्य साधना की चर्चा करते समय उनकी उन सुप्रसिद्ध कृतियों का ध्यान हो आता है। जिनके कारण डा० बुल्के विद्यार्थी जगत में ख्याति प्राप्त कर सके थे। उनका सुप्रसिद्ध अंग्रेजी हिन्दी कोश अपने समय का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रमाणिक कोष है। हिन्दी की मूल प्रकृति को समझकर तदनुसार शब्द और अर्थ की तालमेल बिठाने में जैसा श्रम इस कोश में लक्षित होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनका कहना था कि कोष में कठिन शब्दार्थ देने की अपेक्षा प्रचलित और स्वीकृत सरल अर्थ देने चाहिए। उनकी टेक्निकल इंगलिश हिन्दी गलसरी भी इसी कारण अत्यन्त लोकप्रिय है।

डा० बुल्के भारत में रोमन कैथोलिक चर्च के धर्म प्रचारक होकर आए थे किन्तु भारतीय साहित्य और संस्कृति से प्रगाढ़ प्रेम के कारण धर्म प्रचार का कार्य छोड़कर उन्होंने अध्यापक का पेशा स्वीकार कर लिया। रांची के सेंट जेवियर्स कालेज में सत्ताईस वर्ष तक हिन्दी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे और वहां रहकर उन्होंने सैंकड़ों विद्यार्थियों का मार्ग निर्देशन किया। बुल्के जी के पास पुस्तकों का विशाल भण्डार था। दूर-दूर से शिक्षार्थी उनके यहां आते और उनसे पथ प्रदर्शन पाकर अपना काम करते थे। एक व्यक्ति का पुस्तकालय किसी भी कालेज के पुस्तकालय से अधिक समृद्ध था। सब शिक्षार्थियों को उनके पुस्तकालय के उपयोग करने की पूरी छूट थी।

पिछले सात-आठ साल से उनका समय बाइबिल पर केन्द्रित था। बाइबिल के उपदेश उन्हें इतने प्रिय थे कि उनका पाठ किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। वे कहते थे—"मैं भारतीय हूं। भारत की भाषा हिन्दी है। हिन्दी में यदि बाइबिल का शुद्ध अनुवाद न मिले तो मेरा भारतीय होना व्यर्थ है।" इसी उदात्त धार्मिक भावना से उन्होंने न्यू टेस्टीमेंट का नया विधान उस से सरल किन्तु शुद्ध हिन्दी में अनुवाद किया। ईसा मसीह के उपदेशों को उन्होंने चयन कर "सुसमाचार" नाम से हिन्दी में प्रकाशित किया। फादर बुल्के ने यह कार्य जिस निष्ठा के साथ सम्पन्न किया वह उनकी सच्ची धर्म निष्ठा का प्रमाण है।

डा० कामिल बुल्के के मन में अभी बीस वर्ष तक भारत की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। वे कहा करते थे कि मुझे अभी तीन काम फिर से करने हैं। रामकथा उत्पत्ति और विकास को नवीन अनुसन्धानों के आधार पर नए संस्करण में प्रकाशित करना है। बाइबिल का सम्पूर्ण अनुवाद करना है, अंग्रेजी-हिन्दी कोश को भी नए रूप में शुद्ध करके प्रकाशित करना है। उनकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी लेकिन उन्होंने जो कुछ भी 73 वर्ष की आयु में किया वह एक विदेशी भारतीय के लिए आदर्श और अनुकरणीय है।

फादर बुल्के को पिछले तीन-चार वर्षों से सुनने और बोलने में कुछ कठिनाई होने लगी थी। सुनने के लिए वे श्रवण यंत्र, का प्रयोग कर लेते थे किन्तु भाषण देते समय बोलने की कठिनाई का कोई उपाय नहीं था। जून, 1982 में वे रांची में अस्वस्थ हुए। चिकित्सा के लिए पटना लाए गए। वहां मालूम हुआ कि उनके पैर में गैंग्रीन रोग है। गुर्दे भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं पर की उंगलियों का तो पटना में ही आपरेशन हो गया लेकिन जब जहर ऊपर की ओर बढ़ता दिखाई दिया तो उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में चार पांच दिन रहे फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया। तब तक रोग बहुत बढ़ चुका था। चिकित्सा द्वारा उस पर विजय पाना कठिन हो गया था। तीन वर्ष वहां रहे किन्तु उनकी बीमारी निरन्तर बढ़ती गई और अन्त में 17 अगस्त 1982 को प्रातः साढ़े आठ बजे उन्होंने शान्तिपूर्ण वातावरण में प्राण त्याग दिए।

डा० फादर कामिल बुल्के का पुण्य स्मरण एक योरोपीय साधु का स्मरण है जो भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा के आकर्षण से विद्ध होकर सच्चा भारतीय हो गया था जिसने बिहार को अपनी पितृभूमि मान लिया था। जिसने रामचरित मानस और गोस्वामी तुलसीदास को अपना गुरू मान कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संसार के लिए आदर्श ठहराया था। □

ग्रामीण जनजीवन के केन्द्र बिन्दु हाट बाजार

प्रभात कुमार सिंघल

ग्रामीण जनजीवन की अपनी ही दिनचर्या होती है। सप्ताह के सात दिनों में एक दिन ग्रामीण समुदाय के लिए प्रसन्नता का दिन होता है। यह दिन वह होता है जिसे कहीं हाट लगना, कहीं साप्ताहिक बाजार तो कहीं पीठ लगना भी कहते हैं। यह दिन सप्ताह में कौन सा होगा प्रत्येक जगह अलग-अलग निर्धारित होता है। जिस-जिस ग्राम में या कस्बे में हाट लगती है आस-पास ग्रामों के पड़ौसी निवासी क्या बड़े-बूढ़े क्या महिलाएं सभी बड़े उमंग से भोर होते ही हाट जाने की तैयारियों में लग जाते हैं।

ग्रामवासियों के लिए हाट बाजारों का अत्यन्त महत्व है। आवागमन के जहां साधन नहीं होते वहां के लिए तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ग्रामीण अपनी सप्ताह भर की जरूरतों के अनुसार विविध वस्तुएं क्रय कर ले जाते हैं। आवश्यकता की सभी वस्तुयें यहां उपलब्ध होती हैं। शहरों के समान ये एक प्रकार के ग्रामीण शापिंग सेंटर होते हैं।

ग्रामों में लगने वाले यह हाट बाजार एक व्यवस्थित रूप से लगें। जहां ये लगें वहां पर्याप्त पेयजल, शौचालय, गोदाम नीलामी, चबूतरें आदि की उचित व्यवस्था हो। इस ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान गया तथा कतिपय मानदण्डों के आधार पर सर्वेक्षण कराया गया तथा भारत में अनेक जगह हाट बाजार विकास योजनाएं स्वीकृत की उनमें राजस्थान का भी चयन किया गया।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानित राशि के आधार पर राजस्थान के हाड़ौती संभाग कोटा, बून्दी और झालावाड़ जिलों में 102 हाट बाजारों को विकसित करने की योजना प्रारम्भ की गई है।

योजना का मुख्य उद्देश्य यह भी रहा कि योजनाबद्ध तरीके से हाट बाजार लगें जिससे आवागमन में भी सुविधा रहे। अभी तक हाट बाजारों में अपना सामान क्रय करने के लिए कहीं भी बैठने की परम्परा जारी है। उनका कोई निश्चत स्थान नहीं होता जहां वह अपना समान बैठकर बेच सकें। फिर ग्रामीण वासी जब समान क्रय करने आते हैं तो कभी-कभी उन्हें पेयजल व शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव का भी सामना करना पड़ता है। नीलामी करने का भी स्थान प्रायः निर्धारित नहीं होता। इन्हीं कमियों को दूर करने के प्रयास इस योजना में करने का किया गया है।

बजट प्रावधान—राजस्थान में कोटा बून्दी, एवं झालावाड़ जिलों के लिए हाट बाजार विकसित करने के लिये वर्ष 1981–82 में एक करोड़ पचास लाख रुपये अनुदान स्वरूप केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया। प्रत्येक हाट बाजार के लिए एक लाख पचास हजार रुपये प्रावधान किया गया। अभी तक तीनों जिलों में प्रारम्भ किए गए 94 हाटों, बाजारों पर 80 लाख रुपये जून, 1983 तक व्यय हो चुका है। जिसमें से 40 लाख रुपये केवल कोटा जिले में व्यय किया गया।

निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों के विषय में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कोटा जिले मण्डल के अधिशासी अभियन्ता श्री भगवान प्रसाद विजय ने बताया कि हाट योजना पर निर्माण कार्य वर्ष 1982-83 में चालू किए थे।

आपने बताया कि प्रत्येक हाट बाजार में 12×16 फुट आकार के चार पांच नीलामी चबूतरे, कार्यालय एवं गोदाम पानी की प्याऊ, पशुओं को पेयजल हेतु खेल, शौचालय एवं मूत्रालय तथा सुरक्षा के लिए चौकीदार आवास गृह का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

कोटा जिले में भवरगढ़, रामगढ़, नाहर गढ़, केलवाड़ा, समा रानियां, कौयला, मोट पुर कुजैड़, बड़ौरा, कटावर, पीपल्दा, गैता, खातोली, खटकड, मागरोल, रेलावन, हरनावदा, शाहजी, बंजारी, पाली एवं मोतियापुर चौकी के हाटबाजारों का निर्माण करीब-करीब पूर्ण हो चुका है।

बून्दी जिले में खटकड, नीमकाखेड़ा, बूढ़ा, नैनवा, दई, तलवास, पपिलिया,

करवत, हिण्डोली, डबलाना. अलौद, कापरेण, घाटकाबराना, मायजा नोबाड़ा झालीजी का दराना, बड़ा खेड़ा, लवान, गैंडोलीखुर्द, केशवराय पाटन एवं लाखेरी तथा झालावाड़ जिले में भवानीमंडी, रायपुर, गदिया, हमडा, गणेशपुर, गरनावद, मंगेशपुर, छोटी उनैल, पीपलिया, भीलवाड़ी, श्रीछतरपुर, उग, आवर, तारज, सरोला, दहीखेड़ा, लायफल, पनवाड़, हरिगढ़, बकानी, गाडरवाला, नूरजी, रीछवा, मण्डावर, झालावाड़, रटलाई, असनावर, सरड़ा, भालता, घाटोली, भीमखेड़ी, चुरेलिया एवं मनोहर थाना, का चयन हाट बाजार विकास हेतु किया गया।

दोनों जिलों में 10–10 हाट बाजार पूर्ण हो चुके हैं। कोटा बून्दी एवं झालावाड़ में निर्माणाधीन सभी शेष हाट बाजार के आगामी अक्तूबर के अन्त तक पूर्ण होने की आशा व्यक्त की।

अधिशासी अभियन्ता ने यह भी जानकारी दी कि कोटा जिले के कैथून छिपाबडौद, एवं खौराबाद के बून्दी जिले के हिन्डोली एवं नौताड़ा तथा झालावाड़ जिले के गदिया, एवं बकानी एवं मनोहर थाना में जमीन सम्बन्धी विवादों के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। शीघ्र ही यह मामला तय हो जाएगा।

हाड़ौती सम्भाग में अल्प अवधि में ग्रामीण विकास के लिए किए गए ये कार्य निश्चय ही यहां के जन-जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निबाहेंगे। हाट बाजारों के निर्माण से ग्राम्य जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी।

सहा० जन सम्पर्क अधिकारी,
कोटा (राजस्थान) 324001

युग की मांग

लाख लाख तारे अम्बर में
अन्धकार कब हर पाते
चन्दा सूरज केवल दो
किरणें प्रकाश की फैलाते।

घर आंगन ज्योतित करने को
काफी केवल दो दीपक
कृष्ण और बलराम सदृश्य वे
देंगे कुल को नव गौरव।

अभिमन्यु सा एक पुत्र ही
कुल को रोशन कर देता
दुख तकलीफों में जीवन की
नाव सफलता से खेता।

साठ हजार सगर पुत्रों सी
भीड़ भाड़ को मत जोड़ो
दुःखों को न्योता देकर तुम
किस्मत अपनी मत फोड़ो।

अधिक कुटुम्ब बढ़ा लेने से
शान्ति और सुख होता दूर
खाने और पहिनने से भी
मानव हो जाता मजबूर।

जितनी चादर पास तुम्हारे
पैर स्वयं उतने फैलाओ
युग की मांग स्वयं ही सोचो
परिवार नियोजन अपनाओ।

—अवध किशोर सक्सेना
हैडक्लर्क,
पुलिस कार्यालय
जिला गुना (म० प्र०)

शिशु एक सुख अनेक

पहला सुख निरोगी काया

प्राकृतिक शर्बत—नीरा

—श्याम सुन्दर जोशी

ताड़ वृक्षों से प्राप्त ताजा रस को 'नीरा' कहते हैं यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एक उत्तम पेय है जिसमें व्यक्ति को पोषण देने व रोगमुक्त करने की क्षमता विद्यमान है, प्रातःकाल यदि चाय के स्थान पर एक गिलास नीरा पीया जाए तो पुनः नाश्ते के लिए अतिरिक्त खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है।

नीरा को लोग शर्बत की तरह पीते हैं। इसके नियमित सेवन से उदर संबंधी रोग दूर होते हैं व आदमी का वजन भी बढ़ता है। इसके अतिरिक्त खून की कमी, कब्ज, गुर्दे संबंधी रोगों व आंखों के रोगों में नीरा का सेवन अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होता है।

ताड़ व खजूर के पेड़ से रस निकालने का काम पासी जाति के लोग करते हैं वे इसके लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। पांव में रस्सी का फन्दा लगाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं फिर डण्ठल के पास से पेड़ की छिलाई करके औजार से (वी) "V" आकार का धाव कर नीचे की ओर एक नलकी का टुकड़ा डाल देते हैं। नलकी के पास दो बांस की खूंटियां रोपकर उनपर मिट्टी का बर्तन टांग दिया जाता है। रात भर इसमें रस चूकर जमा होता रहता है। सवेरे सूर्योदय से पूर्व बर्तन को उतार लेते हैं क्योंकि सूर्योदय के पश्चात् इसमें फैन आ जाने से गुणकारी प्रभाव कम हो जाता है। ताजा रस में विशेष जीवनोपयोगी तत्व होते हैं।

एक बार में 2 से 5 किलोग्राम तक रस इकट्ठा किया जा सकता है तथा पेड़ पर जिस स्थान से एक बार रस निकाल लिया जाता है एक सप्ताह बाद पुनः उसी स्थान पर वही प्रक्रिया अपना कर रस निकाला जा सकता है।

नीरा पीने से पाचक रस की वृद्धि तथा चित्त में प्रसन्नता आती है। इसमें शर्करा भी आवश्यक रूप में विद्यमान है जो कि मानव शरीर के लिए परम् उपयोगी है।

हर आठ औंस नीरा से शक्ति की 130 केलोरीज प्राप्त होती हैं यदि दोपहर के समय स्कूल में प्रति बच्चे को आठ औंस नीरा पिलाया जाए तो उसकी आम खुराक में पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है।

नीरा के सेवन से बच्चों के वजन, लम्बाई व हेमोग्लोबिन में वृद्धि होती है।

ईख के रस की तरह नीरा उबालकर ताड़गुड़ बनाया जाता है। यह गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सूखी खांसी के लिए तो यह उपयोगी औषधि है। बंगाल में इससे सन्देश (मिठाई) भी बनाते हैं।

नीरा का रासायनिक विश्लेषण :—

नीरा में निम्न गुण विद्यमान रहते हैं :—

विशिष्ट गुरुत्व	1.07 ग्राम
पी० एच०	6.7 से 6.9 ग्राम
वायु तत्व	(नाइट्रोजन) 0.056 ग्राम [प्रति 100 सी० सी०
जीवन तत्वप्रोटीन	0.35 सी० सी०
कुल शर्करा	10.93 सी० सी०
निम्न शर्करा	0.96 सी० सी०
क्षार	0.54 सी० सी०
फासफोरस	0.14 सी० सी
लोह तत्व	0.04 सी० सी०
कैल्शियम	अल्प मात्रा
अम्ल तत्व	एन/10 सोडा खार का 8.75 सी० सी०
विटामिन सी	13.25 मिलीग्राम प्रति 100 सी० सी०

इसके अतिरिक्त नीरा में प्रति 100 सी० सी० विटामिन "बी-1" के रूप में 39 इन्टरनेशनल यूनिट्स तथा "बी" काम्पलेक्स आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। □

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी
सूचना केन्द्र, भीलवाड़ा।

नमक का प्रयोग कितना जरुरी ?

डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े

एक बार कस्तुरबा बीमार थी। उनकी बीमारी के निवारण के लिए गांधीजी ने उन्हें नमक छोड़ने को कहा। कस्तूरबा इस बात पर झल्ला उठी, बोली "कभी नमक भी छोड़ा जा सकता है। आप तो विचित्र सी बात करते हैं।" इस पर महात्मा गांधी ने नमक छोड़ने का व्रत ही ले लिया। कस्तूरबा को अपनी हार माननी पड़ी।

निश्चय ही जिन रोगियों को खाज, खुजली, हाइ-ब्लड-प्रेसर, रक्त-विकार, कुष्ट, सूजन की तकलीफें होती हैं, उन्हें जब डाक्टर परहेज के तौर पर नमक छोड़ने का निर्देश देते हैं तब परम्परागत नित्य नमक सेवन करने वाले लोग-बाग स्वादवश अत्यन्त दुःख का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि नमक के बिना जीवन में अब क्या मजा शेष रह जाएगा। वे यह नहीं जानते कि शरीर के लिए जितने नमक की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति तो फलों और सब्जियों के सेवन से ही हो जाती है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामान्यतः एक व्यक्ति तीस ग्राम नमक रोज ऊपर से खा लेता है। कुछ वैज्ञानिकों ने हाल ही में नमक के प्रयोगों का अध्ययन किया है कि चूहों को मनुष्यों के अनुपात में जब नमक खिलाया गया तो उनको उच्च रक्तचाप की शिकायत बढ़ गई और जीवन अवधि घट गई।

सैकड़ों वर्षों से लोग-बाग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए दिन-रात नमक का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। मूली, गाजर, जामुन, अमरूद, टमाटर, सेब, आंवला आदि खाते समय हम उसके साथ ऊपर से नमक डालकर प्रयोग करते हैं, जो अनुचित है, इन्हें प्राकृतिक रूप में ही खाना विशेष लाभप्रद होता है।

पक्षियों के लिए नमक एक प्रकार का विष है। नमक अधिक मात्रा में खाने से सुअर की मृत्यु तक हो जाती है। उल्लेखनीय है कि संसार के कोई भी जीव-जन्तु प्राकृतिक लवण के अलावा अलग से नमक नहीं खाते। कुष्ठ की बीमारी भी नमक की मात्रा असाधारण-रूप से बढ़ जाने के कारण उत्पन्न शरीर का रक्त विकार ही है। नमक हृदय को भी बहुत हानि पहुंचाता है। इसके संतुलन की गड़बड़ी से हृदय की गति बढ़ना और रक्तचाप में वृद्धि की शिकायत बढ़ जाती है।

विज्ञान की भाषा में साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह जितना सस्ता है, उतना ही स्वास्थ्य के लिए अधिक मात्रा में खाना हानिकारक है। स्वाद के चक्कर में पड़ मनुष्य उसे आवश्यकता से अधिक खा लेता है। नमक का निर्माण क्षार तत्व सोडियम और क्लोरीन गैस से मिलकर बनता है। क्लोरीन एक विषैली गैस है, जो शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी है।

नमक की कई किस्में हैं, जिनमें साधारण नमक, काला नमक, सेंधा नमक, लाहोरी नमक, सूचर नमक प्रमुख हैं। सेंधा नमक सबसे अच्छा नमक माना गया है। यह समुद्री से श्रेष्ठ होता है।

हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में नमक से होने वाली हानियों का वर्णन इस प्रकार मिलता है—नमक पित्त को कुपित करने वाला, भारी, गर्म, अधिक प्यास उत्पन्न करने वाला, इंद्रियों को दुर्बल बनाकर काम शक्ति को कम करने वाला, बाल सफेद और गंजापन पैदा करने वाला, मांस को फाड़ने, कुरेदने वाला है।

माना कि नमक का एक निश्चित स्वाद होता है जिसके कारण वह भोजन के साथ मिलाया जाता है जबकि पाचन क्रिया पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती। मात्र भोजन को सुस्वादु बनाता है। हमारे आमाशय में इसका बहुत कम शोषण हो पाता है। मुख्य रूप से आंतों में नमक का शोषण होता है।

अनुभव की बात है कि जब हम नमकीन भोजन करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही काफी प्यास लगने लगती है। पाचन संस्थान उसे गुर्दे के माध्यम से यथाशीघ्र बाहर निकालने को तत्पर रहता है। इसके प्रभाव से आमाशय की झिल्ली को नुकसान पहुंचता है। शरीर का अनावश्यक लवण तथा जल गुर्दे द्वारा उत्सर्गित होते रहते हैं।

नमक हमारे शरीर का एक आवश्यक घटक है। जो कोशिकाओं के बाहरी द्रव में स्थिर रहता है। शरीर में यह लगभग आठ औंस की मात्रा में रहता है। सीरम का यह प्रधान घटक है। यह रक्त और शरीर की अन्य धातुओं के मध्य परा-सरणीय संतुलन (आस्मेटिक प्रेसर) स्थिर रखने के कारण जीवन के लिए अनिवार्य है। मनुष्य का जीवन नमक के बिना संभव नहीं।

नमक का .9 प्रतिशत घोल अन्य उपयोगी तत्वों के साथ शरीर में इन्जेक्शन के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर पहुंचाया जाता है। मूत्र विषमयता, बहुत अधिक रक्तस्राव, वमन, अतिसार, हैजा आदि के कारण शरीर में उत्पन्न निर्जलीकरण की स्थिति में दिया जाता है। इसका मुख्य रूप से उत्सर्ग मूत्र के द्वारा होता है लेकिन थोड़ा-बहुत भाग स्वेद और मल के माध्यम से भी निकलता है।

विभिन्न प्रकार की बीमारियों में नमक की सहायता से लाभप्राप्त किया जा सकता है। यहां ऐसे ही कुछ घरेलू प्रयोग दिए जा रहे हैं, जिनसे प्रत्यक पाठक लाभ उठा सकते हैं।

*पिसा नमक सरसों के तेल में मिलाकर तैयार करें फिर उसे एक शीशी में बंद रख। मसूड़ों की सूजन, खून व पीप आना, मसूड़ों की पीड़ा, मुंह से बदबू आना आदि दंत रोगों में शीशी हिलाकर दिन में दो तीन बार लगाते रहने से सारी तकलीफों में आराम मिलता है।

*बेहोशी में चार-पांच बूंद पानी में चुटकी भर नमक घोलकर रोगी की नाक में डालने से लाभ होता है।

*नहाने के पानी में थोड़ा नमक डालना चाहिए। इससे त्वचा की कांति बढ़ेगी और खुश्की भी नहीं होगी। इसका 20 प्रतिशत उष्ण लवण जल का प्रयोग पुराने आमवात, ग्रध्रसी तथा संधियों के अन्य रोगों में लाभ पहुंचाता है।

*दस्त और उल्टी अधिक होने पर जब शरीर में जल की कमी उत्पन्न हो जाए तो नमक और ग्लुकोज पानी में घोलकर बार-बार पिलाना चाहिए।

*नमक और सिरके को पानी में पीस कर जहरीले कीटों, जन्तुओं के काटे स्थान पर लगाना और नमक का पानी पिलाकर उल्टी कराना लाभदायक होता है। यह जहर का असर कम करता है।

*हिचकी अधिक आने पर सेंधा नमक, साधारण नमक, काला नमक सब समान मात्रा में मिलाकर पीस लें और आधा चम्मच गर्म पानी में घोलकर सेवन करें। लाभ होगा।

*शुद्ध शहद में पिसा हुआ नमक अच्छी तरह मिलाकर बच्चों के मसूड़ों पर मलने से दांत आसानी से निकलते हैं।

*अंगुलबेड़ा होने पर नमक के पानी में अंगूठा डुबाए रखने से दर्द में कमी आती है।

*गला खराब होने पर नमक के पानी के गरारे (कुल्ले) करने से तकलीफ में आराम महसूस होता है।

*आग में नमक की डल्ली को गरम करके थोड़े पानी में बुझाकर, पानी को खांसी की बीमारी में पिलाने से लाभ होता है।

*आग से जलने पर नमक के पानी में गीला किया, नमक का लेप किया कपड़ा बांधने से जलन से छुटकारा मिलता है और फफोला अथवा दाग भी नहीं पड़ता।

नमक का प्रयोग एकाएक बिल्कुल बंद कर सकना हर एक की बस की बात नहीं लेकिन फिर भी धीरे-धीरे भोजन में नमक की मात्रा कम करते जाना संभव है। इससे आपको स्वाद में परिवर्तन का अनुभव स्पष्ट नहीं हो पाएगा और इसको छोड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि शरीर को आवश्यक मात्रा में नमक प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से मिल ही जाता है।

बिना नमक की रोटी खाना लाभदायक होता है क्योंकि नमक युक्त रोटी जो दांतों से चिपक जाती है, वह दांतों की जड़ को कमजोर करती है। यदि हम निश्चय कर लें तो नमक का पूर्णतः त्याग कर देखेंगे कि बिना नमक के खाया गया भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हां हम अपने शरीर में हुए परिवर्तनों का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं।□

क्वा. 902, एन-2 हबीबगंज,
भोपाल-462094

सन्देश

"हिन्दी हमारी राजभाषा है। मंत्रालय का अधिक से अधिक काम-काज हिन्दी में किया जाना चाहिए। सरकार की राजभाषा नीति तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दें तो न केवल उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को ही बढ़ावा मिलेगा बल्कि हिन्दी पूर्ण रूप से सरकारी काम-काज की भाषा शीघ्र बन सकेगी। कम से कम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास होना चाहिए।

हरिनाथ मिश्र
ग्रामीण विकास मंत्री

त्रिमुखी वन खेती

पहाड़ों में जीवनदान का प्रयास

*

बद्रीदत्त कसनियाल

पर्वतीय क्षेत्रों में विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या के अनियंत्रित दबाव और वैज्ञानिक वृक्ष कटान भूप्रयोग के गलत तरीकों के कारण वृक्षों और वनों की मात्रा काफी न्यून हो गई है । पहाड़ों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इन क्षेत्रों में 66 प्रतिशत वन होने आवश्यक हैं परन्तु आंकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत ही वन बचे हैं, जिसके कारण यहां से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है ।

पहाड़ों में वनों पर अतिरिक्त जनसंख्या भार में जिस भू-क्षरण, ईंधन व चारा समस्या को जन्म दिया उसकी ओर उत्तर-प्रदेश सरकार ने समय रहते पर्याप्त ध्यान देकर पर्वतीय विकासनीति के सूत्र को ही बुनियादी रूप से बदल दिया है । वृक्षारोपण व वन खेती उसी योजना के रूप हैं जो पहाड़ों में जीवनदान हेतु बनाई गई है, जिसके पीछे मूल ध्येय यह रहा है कि यदि वनों पर अतिरिक्त भार भूमि के गलत प्रयोग के फलस्वरुप हो रहे क्षरण को तुरन्त नहीं रोका जा सकता तो बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के साथ-साथ वन खेती को प्रोत्साहित कर चारा विकास की योजनाएं चलाई जाएं ताकि पर्वतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके।

विस्तृत कृषि की विस्तार सम्भावनाओं की ही तरह पर्वतीय क्षेत्रों में सघन कृषि की सभावनाएं भी बहुत न्यून हैं जिसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, सिंचाई के लिए सीमित साधन कृषि आगतों तथा सामान्य कृषि संसाधनों का अभाव, अनुपयुक्त भू-बनावट, सामयिक व पर्याप्त वर्षा का अभाव । इसी कारण इन सीमाओं को ध्यान में रखकर पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के स्थान व पशुपालन तथा लघु कुटीर उद्योग ही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकते हैं, यह विचार ही मूल रूप से त्रिमुखीय वनखेती की पृष्ठभूमि में हैं ।

त्रिमुखी वन खेती के अन्तर्गत सभी प्रकार की अनुपयुक्त पड़ी भूमि सामुदायिक व पंचायती भूमि, नंगे पर्वतों, जंगलों सड़कों के दोनों ओर समन्वित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके भू-क्षरण रोकने के लिए फलदार वृक्षों का रोपण करने के साथ-साथ ईंधन व चारा देने वाले वृक्षों को लगाकर ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई ।

पर्वतीय क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु चलाई जा रही पर्वतीय क्षेत्रीय विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 से ही त्रिमुखी वनखेती को प्राथमिकता रूप में लिया गया । पिथोरागढ़ जनपद में इस योजना के लिए नौ लाख रुपये व्यय करके पन्द्रह परियोजनाओं में 389.50 हैक्टेयर भूमि में वनीकरण, उद्यानीकरण चारा तथा भेषज विकास की परियोजनाएं चलाई गई हैं। इन पन्द्रह परियोजनाओं में ईंधन के लिए अकेशि, रोबिनियां, यूकिलिप्टिस, वुरांस, चीड़ चारे के लिए खड़क, भीमल, क्वेल, कीमू, वांज, फ्लांट, लटुवा बांज, गीठी, बकेन तथा शहतूत, ईमारती लकड़ी के लिए देवदार, चीड़, सुरई तुन, शीशम, पांगर, जामुन, कैल तथा हल्दु, फलों के लिए आम, अमरूद, पपीता, नारंगी, लीची, सेब इत्यादि तथा आर्थिक रूप में व्यवसाय पूर्ण वृक्षों में रीठा, च्यूरा, यूकिलिप्टिस, पौपुलर, कीमू, खड़िक, उतीस तथा अंगूर आदि, जातियों का रोपण किया गया ।

त्रिमुखी वन खेती के कई लाभ हैं, पर्यावरण की दृष्टि से इसमें पानी के स्रोत व नमी का दायरा बढ़ता है । उपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण होता है, भू-रक्षण रुकता है तथा सूखे की स्थिति नहीं आने पाती तथा इसमें क्षेत्रीय सौन्दर्य में वृद्धि होती है । स्थानीय विकास की दृष्टि से रोजगार वृद्धि तथा कृषि व लघु उद्योगों का विकास साथ ही ईंधन योग्य लकड़ी, फल, चारा व कई औषधियां प्राप्त हो सकती हैं । त्रिमुखी वन खेती के पांच वर्षों के समय में दूसरे वर्ष के बाद घास का उत्पादन तिगुना, रेशम उद्योग हेतु शहतूत की पत्तियों की सुलभता पांच वर्ष बाद फल व दस वर्ष बाद इमारती लकड़ी सुलभ होती है ।

त्रिमुखी वन खेती में ग्रामीण नागरिकों की मुख्य भूमिका है । ग्रामवासियों को यह समझाया जाए कि उन्हें इस परियोजना से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं । त्रिमुखी वन खेती की ओर ग्राम वासियों में जागृति पैदा कर इन लगाए गए वृक्षों की सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। यदि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के प्रति ग्रामवासियों में रुचि पैदा हो गई तो कुछ ही वर्षों में उत्तराखंड में केवल भू-क्षरण बाढ़ें तथा स्खलन भी रुकेगा और चारा, ईंधन तथा लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होकर ग्रामीण जीवन में नया उत्साह भर जाएगा । □

पत्रकार
हिमानी होटल, पिथौरागढ़

कहानी

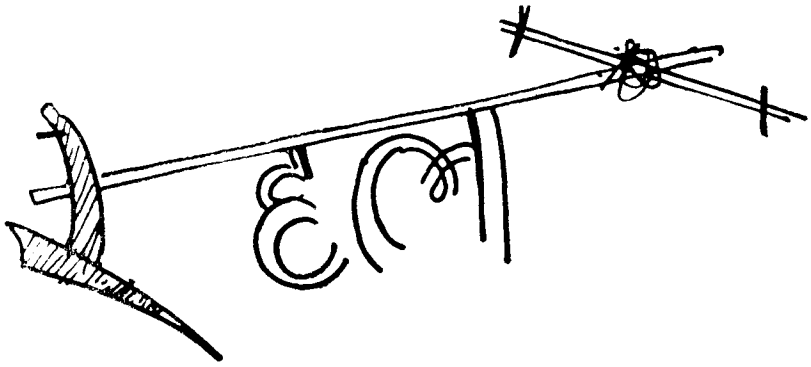

सुबोध

धनुआ की आंखें पहले से भी ज्यादा बुझ गयी हैं। वह हर रोज अपने से भी बालिश्त भर ऊंचे बेटे को अंदर ही अंदर घुटते देखता है। दो साल पहले जब नारायण कालेज में पढ़ता था कितना खुश रहता था। कहता था, "काका, बस आखरी साल है, फिर देखना---" और धनुआ की आखों में ख्वाबों के महल बस जाते थे। उसे लगता उसके दिन फिर गए हैं और भरा-पूरा हो गया है। पर बहुत जल्द, उस साल के खत्म होने के दो महीने बाद ही एक-एक कर उन ख्वाबों के हल को किसी की नजर लग गयी। और उसके बेटे के माथे पर एक लफ्ज चिपक गया—बेरोजगार, जो हर पल उसे अंदर ही अंदर कौंचता रहता।

पिछली बार एक महीने पहले जब नारायण इन्टरव्यू देने गया था तो बहू के हाथ की इकलौती बच रही अंगूठी बेच कर गया था। आकर बताया, "आदमी तो वहां पहले ही रख लिया गया था।"

और धनुआ को लगा किसी दूसरे ने उसके खेत में खड़ी पकी हुई फसल काट ली है। "सालों ने इतने तो अखबार में दे दिया, इनके बाप का क्या गया? यहां तो अंगूठी बिक गई। इससे अच्छा तो यह रहता कि पढ़ाने-लिखाने की बजाय खेत में ही काम करवाता पर मैंने तो यही सोच कर पढ़ाया-लिखाया कि पढ़-लिखकर अफसर बन जाएगा मगर बी० ए० की डिग्री बोझ बन गई। न उस बोझ को घसीट सका और न गाड़ी। वर्ना किसान के बेटे के बदन से कभी माटी की खुशबू गई है?"

धनुआ ने लंबा सांस खींच डोडा फेंक दिया और गौ-माता को निरनै उठ खड़ा हुआ। छान में 'राम रे' भर गया। ठाण में गया तो उसने देखा नारायण गौ-माता को नीर रहा है।

पांच साल पहले रधिया ने एक बार नारायण से गाय निरनै के लिए कहां था तो धनुआ ने ना कर दिया था, "ना बेटा ना... तू बनेगा बड़ा अफसर। तेरे तो आगे-पीछे नौकर घूमेंगे। तू ये काम क्यों करे? तू तो पढ़ बेटा...बहुत सारा।" और खुद गाय निरनै उठ खड़ा हुआ।

धनुआ ने नारायण को देखा और नारायण ने धनुआ को। दो जोड़ी आंखें मिलीं। तजुरबे की अमीर आंखों में भाव उमड़े। "अब रधिया न रही, वे सपने न रहे और नारायण को गाय निरनै से रोकने वाला उसका हौंसला भी न रहा। नारायण ने माथे पर लगे बेरोजगारी के टीके को धोने के लिए उसका सारा काम संभाल लिया पर पैर माटी में न दिए। ना जाने कैसी जिद चढ़ आई कि कहता है, काका पढ़-लिखकर खेत में काम करते शरम आती है। खैर...जैसी अगले की इच्छा।" और आंखों के मालिक के जिगर में ममता का समन्दर उमड़ आया, "जा बेटा महाजन काका से खेत के माथे सौ रु० उधार ले आ। तू कह रहा था ना तुझे फारम भरना है।"

"ना काका ना, नौकरी तो मिलनी नहीं। रग्घू सुबह ही शहर से आया है उसने बताया कि इस नौकरी के कंपनी वाले पैसा मांग रहे हैं और अपने पास है सिर्फ दस बीघे का एक टुकड़ा।" नारायण की पढ़ाई के खर्चे और रधिया के संस्कार के खर्चे में तीस में से बीस बीघा खेत चार साल पहले धनुआ ने रेहन रखा था जो पिछले साल कारकाट हो गया। ये तो अच्छा हुआ (?) कि नारायण की शादी बहुत पहले कर दी नहीं तो ये दस बीघे का टुकड़ा भी न बचता।

धनुआ ने मन ही मन एक गाली दी, "साले कोई सिफारिश मांगते हैं, कोई पैसा और जिसके पास सिर्फ डिग्री हो वो क्या करे? पहले तो फारम के पैसे ही नहीं जुटते। जुट गए तो महीनों जवाब नहीं। किसी तरह इन्टरव्यू के

लिए बुलावा आ भी गया तो छोड़ना पड़ता है, भेजने को पैसा नहीं होता और अगर किसी तरह उधार मांग-कर भेज भी दिया तो आकर कहता है 'अपने रिश्ते वाले को रख लिया' क्या करे एक बेरोजगार?'' धनुआ ने 'पिच्' से गंदगी के ढेर पर थूक दिया, ''छोड़ बेटा और कोई नौकरी देख।''

''ना काका, अब नौकरी-वौकरी ना देखनी। तुम्हारे दिन अब हरिभजन के हैं। खेत में खटने के नाही। कल से खेत मैं जाऊंगा। सरकार बेरोजगारों को सहायता दे रही है। दो महीने में खेत में कुआं खुद जाएगा। फिर देखना काका . . .'' और नारायण के स्वर में शर्मि-न्दगी झलक उठी, ''काका पढ़-लिखकर मैं तो समझने लगा था मेरी जगह चमक-दार आफिसों में है—माटी का संबंध भूल गया था काका मैं, अब उस गलती को सुधारना भी तो है।''

धनुआ की आंखों में खुशी के आंसुओं का बादल समा गया। बेटे के चेहरे पर कालेज के जमाने की मुसकान जो लौट आई थी और उसने सोचा, पन्द्रह साल पढ़-लिखकर जो समझ दो साल पहले इसे आनी चाहिए थी वह आज बेरोज-गारी के दो साल भोग कर आई है कि किसान के बेटे को माटी गोड़ते शरम नहीं आनी चाहिए। □

407, मधुबन असल्फी रोड,
गोरे गांव (प०) बम्बई–6

ग्रामोत्थान के प्रति गांधीवाद की सार्थकता . . . . . .

के उत्पादक उपयोग पर बल देता है वहीं यह भोगवादी मानसिकता के खिलाफ एक शक्तिशाली मोर्चा भी तैयार करता है। वे यह नहीं चाहते थे कि हमें किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु दूसरे देश का मुंह देखना पड़े, दूसरे देशों पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़े। इसका आशय यह नहीं है कि गांधी जी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विरुद्ध थे। वस्तुतः वे यह चाहते थे कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का मुखापेक्षी न बने। इसलिए उन्होंने स्वदेशी अभियान चलाया था। इसी सदर्भ में वे गांवों को समर्थ बनाना चाहते थे ताकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए नगरों पर निर्भर न रहना पड़े।

वर्तमान सन्दर्भों में ग्रामोत्थान के निमित्त गांधीवादी विचार धारा सर्वथा समीचीन है। गांधी जी का दृष्टिकोण मूलतः ग्रामो-न्नति करना था। इसी कारण वे ग्रामोद्योग खादी, सीमित यंत्रीकरण इत्यादि पर अत्यधिक जोर देते थे। यद्यपि देश में पर्याप्त उत्पादन वृद्धि हुई है। परन्तु यह संवृद्धि आर्थिक न्याय से पोषित नहीं रही है। अमीरी के कतिपय क्षेत्र और वर्ग हैं जबकि अधिकांश गरीब हैं। अतः आज आवश्यकता है कि संवृद्धि आर्थिक न्याय साथ-साथ हो और इसके निमित्त गांधी विचार युक्तियुक्त और समय के सर्वथा अनुकूल है। इस सम्बन्ध में गांधी विचारधारा पर 1970 में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि गांधीवादी विचारधारा आधुनिक युग के अत्यन्त अनुरूप है। गोष्ठी की समाप्ति के बाद प्रसारित वक्तव्य, ''गांधी जी को किस संकट का सामना करना पड़ा था वह संकट स्पष्टतः अभी समाप्त नहीं हुआ बल्कि और भयावह हो गया है। उन्होंने जो समाधान सुझाए वे पुराने नहीं हुए वे न केवल अपने अपितु विश्व के सभी देशों में आर्थिक विचार धारा और कार्य के क्षेत्र में एक जबर्दस्त चुनौती प्रस्तुत करते हैं।'' गांधी की सार्थकता का निरूपण करता है। यह निर्विवाद है कि ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की समस्या के निदान में गांधी जी का मार्ग सदा सार्थक रहेगा। इस मार्ग को अनुसरण करने के प्रयास अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति और लगन के साथ किया जाना चाहिए। □

अध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

ग्रामीण विकास–समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि में . . . . . . (पृष्ठ 3 का शेषांश)

विचार में राज्य सरकारें दोषी हैं और हम स्वयं भी दोषी हैं। हम मूलतः व्यक्ति-निष्ठ होने के कारण दूसरे को दोषी करार देने में सुविधा महसूस करते हैं। हर चीज के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं हो सकती। हमको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने अपनी सुविधा के लिए समाज और सरकार में बड़े आराम से फर्क कर दिया है। जबकि समाज का ही एक अंग सरकार है। यह समाज से भिन्न नहीं है। मेरे विचार में ग्रामीण विकास की गति में तेजी लाने के लिए समाज और सरकार दोनों में समन्वय लाना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी कई पश्चिमी देशों की यात्रा में यह महसूस किया कि पश्चिमी देशों के गांव हमारे शहरों से कहीं अधिक विकसित हैं। आज के समय में ग्रामीण विकास की परिकल्पना को समेकित दृष्टिकोण इन्टीग्रेटिड एप्रोच से देखना जरूरी है। □

1167, गली धर्मशाला,
कूचा पातीराम,
दिल्ली–6

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण उद्योगों का विकास--

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1980-81 में 2,37,564 नई इकाईयों की स्थापना की गई जिससे इस दौरान 8.07 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हुआ। वर्ष 1981-82 में इसी प्रकार की 3,08,221 इकाईयों की स्थापना हुई तथा 9.57 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्था हुई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले उद्योगों में रोजगार स्तर 1980-81 में 30.16 लाख था जो बढ़कर 1981-82 में 32.42 लाख हो गया। वर्ष 1982-83 में इसमें और वृद्धि हुई और यह बढ़कर 34.75 लाख हो गया।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस० एम० कृष्णा ने बताया कि केन्द्रीय सरकार, उत्पादों के विविधीकरण, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, नीतिपरक सहायता और विपणन सुविधाएं देकर, ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। वर्ष 1980-81 से वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रमों को कियान्वित करने के लिए दी गई केन्द्रीय राशि एवं ग्रामीणद्योग आयोग को दी गई निधियों की राशि इस प्रकार है :--

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ क्षेत्रों को दी गई राशि	खादी एवं ग्रामोद्योग को दी गई राशि
1980-81	5.40	84.88
1981-82	12.40	95.00
1982-83	14.12	96.09

बैंक किसानों की सहायता करें

कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को उनके पास जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समिति को संबोधित करते हुए कहा कि कृषकों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें अभी भी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया कि जो कुछ उपलब्ध है उसका उत्पादक उपयोग नहीं हो रहा।

राव बीरेन्द्र सिंह ने समिति से कहा कि किसानों के लिए योजनाओं के सम्बन्ध में उनका यह प्रस्ताव है कि वित्त और अन्य संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जाए। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श में कृषि सहित ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रणाली के कार्यकलाप की समीक्षा की जाएगी और इसमें सुधार के उपाय सुझाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी ऋण पर ब्याज की दर कम करने के लिए केन्द्र राज्यों से सम्पर्क करेगा। केन्द्र उन राज्यों को लघु अवधि के ऋण के लिए धन देने को प्राथमिकता देगा जिन्होंने ऋणों की वसूली और ब्याज की दर घटाने में अच्छा काम किया है।

बैठक में कृषि ऋण, लघु और दीर्घकालिक ऋणों, ग्रामीण कर्जदारी और देश में धनों की स्थिति पर विचार किया गया। मंत्री महोदय ने फसलों और कृषि मशीनों को बीमा के अन्तर्गत लाने के सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बीमा ऋण का न्यूनतम जोखिम वाले क्षेत्रों में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। अभी तक कम जोखिम वाले क्षेत्र ही इसके अन्तर्गत आते हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि कर्नाटक और गुजरात में बाढ़ से हुई क्षति का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल वहां जाएंगे केन्द्रीय दलों से जिलावार मूल्यांकन करने और तदनुसार अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राहत कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य को और धन दिया जा सकता है।

पिछड़े तथा जन जातीय क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 किलोवाट का मीडियम वेव का एक नया ट्रांसमीटर शिलांग में चालू किया जाएगा तथा इतना ही क्षमता का एक नया केन्द्र ईटानगर में स्थापित किया जाएगा। 12 अन्य केन्द्र के ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने की भी योजना है। इनमें से 10 ट्रांसमीटर पिछड़े/दूरवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेंगे। सरकार उन क्षेत्रों में रेडियो सेवा की व्यवस्था/विस्तार करने के लिए वचनबद्ध है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनमें आदिवासियों का बाहुल्य है। वास्तव में, 86 केन्द्रों के नेटवर्क में अनेक केन्द्र इस प्रकार के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देश के कुल 128 आदिवासी जिलों में से 119 जिलों को पहले ही सन्तोषजनक रेडियो सेवा प्राप्त हो रही है। देश के 78 प्रतिशत क्षेत्र में 89 प्रतिशत जनसंख्या को रेडियो सेवाएं प्राप्त हो रही हैं।

पेयजल समस्या का समाधान करने में राजस्थान आगे

नौ राज्यों ने मई 1983 के अंत तक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के अपने वार्षिक लक्ष्य का 10 प्रतिशत हासिल कर लिया था। राजस्थान ने एक हजार गांवों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जो लक्ष्य का 31 प्रतिशत से अधिक है। आंध्र प्रदेश (29.8 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (25.9 प्रतिशत) दो अन्य राज्य ऐसे थे जिनका काम काफी अच्छा रहा। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर की उपलब्धियां 6.2 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत रहीं जबकि नौ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थिति अच्छी नहीं रही। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर योजना आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर, मेघालय और पश्चिम बंगाल में कोई प्रगति नहीं हुई।

राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि 11.8 प्रतिशत है। 48,889 गांवों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 5,780 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता दिए जाने के मामले में कुल काम निर्धारित लक्ष्य का 2.8 प्रतिशत रहा। समीक्षा की अवधि में केवल 29,000 अनुसूचित जनजातीय परिवारों को सहायता दी गई। केरल और हिमाचल प्रदेश ही केवल दो ऐसे राज्य हैं जहा लक्ष्य के 10 प्रतिशत से अधिक काम किया गया।

भू-खण्ड उपलब्ध कराने और बे-घरों को निर्माण सहायता उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उपलब्धि 11.9 और 6 प्रतिशत रही। परन्तु सात राज्यों की उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं। इन राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा जिसने मई में 1,359 भू-खण्ड़ों और 2,409 परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता दी। इन्हें मिलाकर चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में आठ हजार भू-खण्ड और 10,662 परिवारों को निर्माण सहायता का वितरण किया गया जो राज्य के वार्षिक लक्ष्य का क्रमशः 41.5 और 54 प्रतिशत है। तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, और कर्नाटक में इस कार्यक्रम के लागू करने में अच्छी प्रगति हो रही है।

असम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल से इस बारे में प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

पूरे देश में 1.22 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए भू-खण्ड और 37,000 लोगों को ऋण उपलब्ध कराए गए।

1.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सहायता

नए बीस सूत्री कार्यक्रम के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दूसरे माह मई में, 1.30 लाख परिवारों की सहायता की गई। यह योजना आयोग द्वारा निर्धारित 30.35 लाख परिवारों को सहायता देने के वार्षिक लक्ष्य का 4.3 प्रतिशत है। केरल ने 12.9 प्रतिशत तथा पंजाब ने लक्ष्य का 10.8 प्रतिशत प्राप्त किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र तथा असम ने 10 प्रतिशत से कम लेकिन 6 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की। इस क्षेत्र में जिन तेरह राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में इस दिशा में कम काम हुआ है उनमें जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल व मेघालय शामिल हैं।

समीक्षाधीन माह में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.20 करोड़ श्रम दिवसों से भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए गए। सिक्किम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 26.7 प्रतिशत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा।

राजस्थान की मरुभूमि को हरा भरा बनाने की योजनाएं

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से चलाए गए मरु-भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के 11 जिले अर्थात् बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनु, जोधपुर, नागौर, पालो तथा सीकर जिले लिए गए हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम को इन सभी जिलों में 1977–78 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मरुभूमि को बढ़ने से रोकना तथा इन क्षेत्रों का विकास करना है ताकि उनके उत्पादन के स्तरों में वृद्धि की जा सके और इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए आय तथा रोजगार सृजित किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां शुरू की गई हैं:

1. वायुरोधी (शेल्टर बैल्ट) पौधरोपण, चरागाह विकास तथा रेत के टीले जमाने पर विशेष बल देते हुए वनरोपण;
2. भूमिगत जल विकास तथा उसका उपयोग;
3. जल एकत्र करने के लिए तालाब बनाना;
4. नलकूपों, पम्प-सैटों आदि को शक्तिचालित करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण; और
5. कृषि, बागवानी तथा पशुपालन का विकास।

गुजरात भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अतिरिक्त भूमि आबंटित करने में आगे।

गुजरात, चालू वित्त वर्ष के दूसरे माह में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अतिरिक्त भूमि आवंटित करन वाले राज्यों में सबसे आगे है। योजना आयोग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात ने केवल मई माह में ही वार्षिक लक्ष्य का 36.7 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। इसके पश्चात् पंजाब का स्थान है। पंजाब ने अपने लक्ष्य का 29.6 प्रतिशत प्राप्त किया है।

जहां एक ओर असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है वहीं दूसरी और महाराष्ट्र, बिहार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान की प्रगति 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बीच रही।

यद्यपि इस क्षेत्र में कुल मिलाकर अच्छी प्रगति नहीं हुई– राष्ट्रीय स्तर पर केवल 7.4 प्रतिशत रही। केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेशों में इस क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ।

योजना आयोग में नए बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में राज्यों से प्राप्त सूचनाओं से यह भी पता चलता है कि इस वर्ष मई में 3,050 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करके पुनः बसाया गया। यह 27,990 के वार्षिक लक्ष्य का 10.9 प्रतिशत है। साथ ही वर्ष 1983–84 के पहले तीन महीनों में 8,000 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया। इस प्रकार लक्ष्य का 29 प्रतिशत प्राप्त किया गया। बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है जबकि केरल, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश काफी पीछे रह गए हैं।

मई के अंत में अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता देने के क्षेत्र में कुल मिलाकर प्रगति भी आशा से बहुत कम रही। इस माह के दौरान केवल 83,000 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता पहुंचाई गई जो कि वार्षिक लक्ष्य का केवल 3.2 प्रतिशत है। किसी भी राज्य ने लक्ष्य का 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं किया है। केवल चार राज्य—पंजाब, गुजरात केरल आन्ध्र प्रदेश ही लक्ष्य का छह प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर पाए हैं।

गहरे समुद्र से अधिक मछली

गहरे समुद्र से अधिक मछली पकडने के कई उपाय किए गए, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं।

(1) विदेशी जलयानों को किराये पर लेकर, संयुक्त उद्यमों, आयात और देसी विनिर्माण के माध्यम से मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना।

(2) मत्स्य जलयानों की खरीद हेतु आसान किस्तों पर देसी जलयानों की लागत का 95 प्रतिशत और आयातित जलयानों की लागत का 90 प्रतिशत ऋण उपलब्ध करने का प्रावधान है, जिसे एक वर्ष के ऋण स्थगन को छोड़कर 15 वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है।

(3) देश में विनिर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत की राजकीय सहायता देना।

(4) बड़े तथा अधिक आधुनिक जलयानों के माध्यम से मात्स्यकी सर्वेक्षण कार्य को तेज करना।

(5) जन-शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना।

(6) बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों के निर्माण तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने तथा जहाजों को ठहराने की सुविधाओं हेतु सहायता देना।

(7) भारतीय मेरीटाइम क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम 1981 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू करके विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन करना, ताकि हमारे जल क्षेत्र में अनधिकृत जलयानों द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ने की समस्या से प्रभावी रूप से निबटा जा सके। □

मेरा वह गांव

पनघट पर मेलों का
मेरा वह गांव
गागर के रेलों का
मेरा वह गांव

पगडंडी राहों का
मेरा वह गांव
धूल भरी सड़कों का
मेरा वह गांव

सरसों जहां फूलती
मेरा वह गांव
चौपाल जहां सजती
मेरा वह गांव

चिड़ियां जहां कूकती
मेरा वह गांव
हाट जहां लगती
मेरा वह गांव

माटी जहां बोलती
मेरा वह गांव
सोना जहां उगती
मेरा वह गांव

—बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'
गल्ला मंड़ो, गोला बाजार,
गोरखपुर 273408
(उ० प्र०)

प्रयासों का सुफल

गदग तालुक के गवारवाडी गांव में रहने वाला युवक विरूपाक्ष वीरप्पा वांदी उच्चतर विद्यालय की परीक्षा पास करने के बाद पिछले दो वर्ष से किसी काम की तलाश में था। इसी समय उत्तरी कर्नाटक के किसानों को रेशम के कीड़े पालने के लिए प्रेरित करने तथा उनके फालतू समय में उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कर्नाटक रेशम पालन विकास परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत वीरप्पा के गांव का भी चयन किया गया, क्योंकि वहां का वातावरण और मिट्टी शहतूत के पौधे लगाने के लिए उपयुक्त थी।

इस परियोजना द्वारा रेशम पालन में बहुत अधिक प्रगति नहीं हो सकी और न ही वीरप्पा वांदी को काम मिल सका। इसका प्रमुख कारण यह था कि किसानों को कोये की खेती करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसको बेचने के लिए उन्हें बंगलौर जाना पड़ता था। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ने और बेरोजगारी की समस्या होने के कारण वीरप्पा के लिए नौकरी ढूंढना बड़ा कठिन कार्य था। वीरप्पा द्वारा सुबह से लेकर शाम तक महीनों तक प्रयास किये जाने के बाद भी उसे रोजगार न मिल सका।

23 वर्षीय युवक वीरप्पा वांदी ने रोजगार की तलाश करने का विचार छोड़ दिया। उसने रेशम सहायक को अपने गांव में आते हुए देखा, जो ग्रामीणों को रेशम पालन के बारे में सिखा रहा था। एक दिन वह रेशम सहायक के पास अपनी समस्या लेकर गया। रेशम सहायक ने वीरप्पा को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई और "स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण" (ट्राइसेम) कार्यक्रम के अन्तर्गत रेशम लपेटने के लिए एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बंगलौर भेजा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वीरप्पा रेशम सहायक के साथ मालाप्रभा ग्रामीण बैंक की बालागनूर शाखा में गया। बैंक ने उसे 37,500 रुपये का ऋण दिया जिसमें 10,000 रुपये चलपूंजी के रूप में थे। वीरप्पा द्वारा रेशम इकाई के लिए 27,500 रुपये की पूंजी निवेश की गई। इसके अतिरिक्त 6,875 रुपये सरकार द्वारा उसे सहायता के रूप में दिए गए।

ये सभी बातें आज से दो वर्ष पहले की हैं। आज 25 वर्षीय वी० वी० वांदी अपने गांव के निकट रेशम उद्योग के छोटे कारखाने का मालिक है। इस कारखाने में रोजाना 50 किलोग्राम रेशम तैयार होता है। इससे न केवल उसे हर माह औसतन 2,000 रुपये की आमदनी होती है बल्कि उस क्षेत्र के आस-पास के दर्जनों युवकों को रोजगार भी मिला हुआ।

इसके अतिरिक्त इस कारखाने से किसानों को कोये की उपज बेचने के लिए अब बंगलौर नहीं जाना पड़ता। अब उनके गांव में उनकी उपज बिक जाती है।

दो वर्षों के बाद आज गवारवाड़ी गांव में 300 एकड़ भूमि में शहतूत के पेड़ लगे हुए हैं। इस समय शहतूत और कोये की खेती के लिए 200 किसान काम में लगे हुए हैं। इस प्रकार गवारवाडी गांव में रेशम उद्योग के विकास का मार्ग खुल गया है और यह सब हुआ वीरप्पा के अथक प्रयासों के कारण।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

सेवक की प्रार्थना

हे नम्रता के सम्राट ।
दीन भंगी की दीन कुटिया के निवासी ।
गंगा, यमुना, और ब्रह्मपुत्र के जलों से सिंचित
इस सुन्दर देश में
तुझे सब जगह खोजने में हमें मदद दे ।
हमें ग्रहणशीलता और खुला दिल दे,
तेरी अपनी नम्रता दे,
भारत की जनता से
एकरूप होने की शक्ति और उत्कंठा दे ।
हे भगवन् ।
तू तभी मदद के लिये आता है,
जब मनुष्य शून्य बनकर, तेरी शरण लेता है ।
हमें वरदान दे,
कि सेवक और मित्र के नाते
जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं,
उससे कभी अलग न पड़ जायें ।
हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना,
ताकि इस देश को हम ज्यादा समझें
और ज्यादा चाहें।